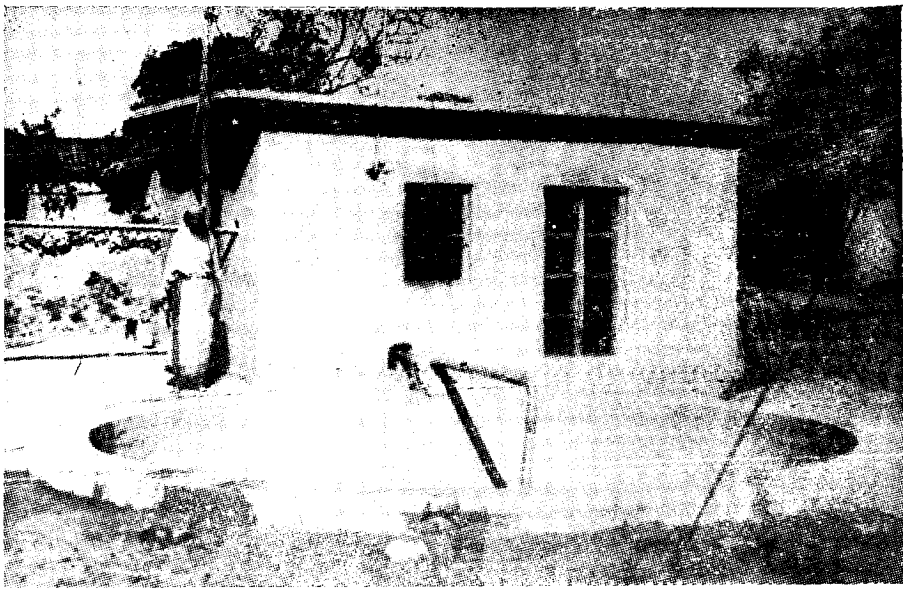

देवला बाई अपने पम्प के पास खड़ी हैं

देवला बाई—छोटी किसान

बिलासपुर जिले के सारगांव की किसान श्रीमती देवला बाई अब खेती के लिए मानसून की कृपा पर निर्भर नहीं हैं। अब वह अपने छोटे से खेत में धान की दुगुनी फसल उगाती हैं। वे गेहूं और सब्जियों की अतिरिक्त फसल भी कर सकती हैं, जो मध्य प्रदेश के एक-फसल वाले इस क्षेत्र के लिए एक अजूबा ही है।

श्रीमती देवला बाई इस सबका श्रेय एक से तीन हैक्टेयर भूमि वाले छोटे किसानों की मदद के लिए स्थापित छोटे किसानों की विकास एजेन्सी को देती हैं। क्योंकि वे एक छोटी किसान थीं, अतः उन्हें नल-कूप के लिए उनके इलाके के सहकारी बैंक से 6000 रुपए का कर्ज मिल सकता था। सिंचाई के लिए नल-कूप की मदद से वे लगभग एक हैक्टेयर में गेहूं उगाने लगीं तथा अतिरिक्त भूमि में सब्जियां उगाकर उन्होंने अपनी आय दुगुनी कर ली।

केवल देवला बाई ही एकमात्र उदाहरण नहीं है। बिलासपुर जिले में छोटे किसानों की विकास एजेन्सी 2 सितम्बर, 1970 को स्थापित हुई थी। तब से अब तक 18 महीनों के दौरान लगभग 32 हजार छोटे किसानों को सहायता के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है तथा निकट भविष्य में 3,000 और किसानों को भी ऋण के लिए स्वीकृति दी जाएगी।

जिले के कृषि विस्तार अधिकारियों ने 117.5 लाख रुपए के ऋणों के लिए उपयुक्त मामले पेश किए हैं। 111 लाख रुपए तक के बाद का ऋण सहकारी बैंक देंगे। श्रीमती देवला बाई को दिए गए ऋण जैसे अन्य कुछ ऋणों से तो काफी लाभ पहुंचा है। जिले में 390 कुएं खोदे गए हैं, जिनमें से लगभग चौथाई अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए हैं। तीन लिफ्ट इरीगेशन सोसाइटी तथा दस डेयरी सोसाइटी पंजीकृत की गई हैं। छोटे किसानों को 113 पम्पिंग सेट दिए गए हैं।

बिलासपुर के अलावा राज्य के अन्य दो जिले, रतलाम-उज्जैन और छिंदवाड़ा, भी एजेंसी की योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं। स्थानीय ऋण संस्थाओं से किसानों के लिए ऋण इकट्ठा किया जा रहा है जिसका उपयोग किसान नए कुएं बनवाने या पुराने कुओं की मरम्मत करवाने तथा पम्पिंग सेट, बैल, कृषि उपकरण, बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां खरीदने में करते हैं। अनुमान है कि एजेन्सी की इन योजनाओं से इन क्षेत्रों की भूमि का लगभग 50 प्रतिशत भाग उपजाऊ बनाया जा सकेगा। ★

देवला बाई के खेत में हुई भरपूर फसल

मजदूर मंजिल

वर्ष 17 वैशाख 1894 अंक 7

इस अंक में

	पृष्ठ
देवला बाई—छोटी किसान	कवर दो
पंचायती राज प्रशासन में जनता की हिस्सेदारी **डा० आर० एस० दरड़ा**	2
किसान (कविता) **कन्हैयालाल शर्मा "ब्रजश"**	4
विकास कार्यक्रमों में व्यापारिक बैंकों का दायित्व **म० म० भालेराव एवं देवीप्रसाद पाण्डेय**	5
हरित क्रान्ति व सामुदायिक विकास योजना **ब्रजमोहन पाण्डे**	7
सामुदायिक विकास के पिछले पांच वर्ष	9
कृषक : श्रम प्रतिमान (कविता) **सूर्यकुमार पाण्डेय**	10
रेडियो आइसोटोप से कृषि में नई क्रान्ति **कृष्णकुमार**	12
विकिरण द्वारा खाद्य समग्री का संरक्षण	15
सिंचाई क्षमता का और अधिक उपयोग	16
मेरा भोला गांव है (कविता) **चिरंजीलाल "भावुक"**	17
किसानों को सामाजिक न्याय दिलाने वाला बजट **डा० शिवेन्द्रमोहन अग्रवाल**	18
शिक्षक का सामाजिक दायित्व **अरनी राबर्टस**	20
सांगोद की लघु सिंचाई योजना **तारादत्त निर्विरोध**	21
खेती की योजनाएं अच्छी, पर अमल नहीं **विनोद विभाकर**	22
गुड़गांव श्वेत क्रान्ति की ओर **लक्ष्मणदास**	23
हृदय के कुछ प्रमुख रोग **डा० पद्मावती**	24
पाठकों की राय **मदन विरक्त**	26
अन्तिम इच्छा (कहानी) **जगदीश किंजल्क**	27
समाधान (रूपक) **ओम्प्रकाश गुप्ता**	29

दूरभाष 382406

एक प्रति 30 पैसे : वार्षिक चन्दा 3.00 रुपए

स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उपसम्पादक : त्रिलोकी नाथ

आवरण पृष्ठ : पी० के० सेनगुप्ता

चम्बल घाटी की समस्या

चम्बल घाटी, जो सदियों से डाकूग्रस्त क्षेत्र के रूप में बदनाम रही है, अब नए जीवन की ओर अग्रसर प्रतीत होती है। अभी हाल में इस क्षेत्र के खूंखार डाकू मोहरसिंह और माधोसिंह ने अपने दलबल सहित आत्म-समर्पण कर इस नए जीवन की दिशा में पग उठाया है और आशा है कि शेष डाकू भी शीघ्र ही आत्म-समर्पण कर इस क्षेत्र में अपने सभ्य और शिष्ट नागरिक जीवन का प्रारम्भ करेंगे।

पर प्रश्न उठता है कि जिस समस्या को मुसलमान बादशाह, सिन्धिया सरकार और अंग्रेज शासक भी हल न कर सके, क्या वह केवल इन डाकुओं के आत्म-समर्पणमात्र से हल हो सकेगी? आज से 12 वर्ष पूर्व 10 मई, 1960 को विनोबा जी के समक्ष मानसिंह के गिरोह के 21 डाकुओं ने भी इसी तरह आत्म-समर्पण किया था। पर क्या उसका कोई वास्तविक अर्थ निकला? वास्तव में चम्बल घाटी की डाकू समस्या एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है। अधिकांश लोग भूखे नंगे हैं। शिक्षा की कमी है। गांवों में जाति-पांति का बोलबाला है। भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है। टोटे के लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं और लोग मार-पीट और हत्या करने के बाद बन्दूक लेकर चम्बल के खारों की ओर चल पड़ते हैं। अधिकतर किसान और मजदूर साहूकारों के ऋणी हैं और उनके चंगुल से कभी निकल नहीं पाते। अतः तंग आकर या बदले की भावना से वे डकैती का पेशा अपनाने के लिए बाध्य होते हैं। इनके अलावा, इस क्षेत्र की डाकू समस्या के मूल में और भी कई कारण हो सकते हैं पर ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनका निवारण किए बिना चम्बल घाटी में वास्तविक नए जीवन का प्रारम्भ नहीं हो सकेगा।

चम्बल के अलावा, यहां कुआरी, सिन्ध और बेसली जैसी नदियां भी हैं जिनमें पानी की कमी नहीं है। जमीन उर्वरा है पर सिंचाई के अभाव में पैदावार कम है। यदि इन नदियों के कटाव से ऊबड़-खाबड़ भूमि को सुधार लिया जाए और इनके पानी का सिंचाई के लिए उपयोग कर लिया जाए तो इसमें शक नहीं कि इस क्षेत्र को मध्यप्रदेश का नन्दन कानन बनाया जा सकता है।

वैसे तो राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारें इस क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीन नहीं है और चम्बल के बीहड़ों को समतल कर उन्हें कृषि योग्य बनाने के लिए बचनबद्ध हैं पर कार्य को गति देने की जरूरत है। चम्बल घाटी की भूमि को कृषि योग्य बनाने से दो लाभ होंगे। एक तो डकैतों के छिपने के स्थान समाप्त हो जाएंगे। दूसरे उन्हें वहां जमीन देकर उनकी वृत्तियों को बदला जा सकता है जिससे वे सभ्य जीवन की ओर उन्मुख होंगे।

शेष पृष्ठ 6 पर]

पंचायती राज प्रशासन में जनता की हिस्सेदारी

डा० आर० एस० दरड़ा

स्वतन्त्र भारत के नवीन संविधान में भारत में स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय (जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सम्मिलित है) की प्राप्ति का उद्घोष किया गया है। समाज में इन नवीन परिवर्तनों के प्रति उत्साह जाग्रत करने के लिए सरकार ने 1952 में सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रम को प्रारम्भ किया तथा 1959 में इसके स्थान पर बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की त्रिसूत्री योजना को प्रारम्भ कर उसके द्वारा देश के करोड़ों निवासियों को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में सीधे भाग लेने तथा अपना भविष्य स्वयं अपने हाथों से संवारने का अवसर प्रदान किया। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रारम्भ से ग्राम्य प्रशासन में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ तथा ग्राम्य जीवन को एक नई चेतना मिली।

राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रपात नागौर में 2 अक्तूबर, 1959 को श्री जवाहर लाल नेहरू के कर कमलों द्वारा हुआ था। ग्राम स्तर पर पंचायतों का, खण्ड स्तर पर पंचायत समितियों का, और जिला स्तर पर जिला परिषदों का निर्माण किया गया। पंचायती राज की स्थापना के तीन प्रमुख लक्ष्य थे : जनता को विकास कार्य में सक्रिय सहयोग देने योग्य बनाना, स्थानीय लोगों में पहल करने की शक्ति का विकास करना और एक सशक्त नेतृत्व तैयार करना। राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुए दस वर्षों से भी अधिक समय हो गया है अतः यह प्रश्न उठाया जाना आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाओं को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता मिली है। इस प्रश्न का उत्तर पंचायती राज प्रशासन में जनता की हिस्सेदारी का विवेचनात्मक विश्लेषण करके दिया जा सकता है। प्रस्तुत लेख में पंचायती राज प्रशासन में जनता की हिस्सेदारी का राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के व्यावहारिक अध्ययन के सन्दर्भ में उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में जनता की हिस्सेदारी का कुछ सूत्रों के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। ये सूत्र हैं : नागरिक, सार्वजनिक प्रतिनिधि, सार्वजनिक सेवक और ग्राम्य क्षेत्र के गैर राजनीतिक प्रमुख नेतागण। इन सूत्रों के सन्दर्भ में निम्न पंक्तियों में जनता की हिस्सेदारी का विश्लेषण हम सर्वप्रथम नागरिक सूत्र को लेकर प्रारम्भ करते हैं।

पंचायती राज के उद्देश्यों की प्राप्तिमें सम्पूर्ण जनता के योगदान की अपेक्षा की गई है। सम्पूर्ण जनता को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किसी भी देश में नहीं होता है। प्रशासन में भाग लेने का अधिकार केवल राज्य के नागरिकों को ही होता है। नागरिक पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी का निर्वाह मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराकर, निर्वाचन के समय अपने मताधिकार का उपयोग करके, और निर्वाचन के लिए योग्य उम्मीदवार चुनने में सक्रिय भाग लेकर कर सकता है। सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण जनता ने अपने आपको मतदाता सूची में पंजीकृत कराने में रुचि प्रदर्शित नहीं की है। नागरिक इस कार्य के प्रति काफी उदासीन रहते हैं। ग्रामीण जनता अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतनी संलग्न रहती है कि इसको मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकरण कराने के महत्व का भी ज्ञान नहीं हुआ है। ग्रामीण जनता द्वारा पंजीकरण के सम्बन्ध में व्यक्त उदासीनता से उनके द्वारा प्रशासन में मतदाता के रूप में भाग लेने में कोई कठिनाई नहीं आई है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्वयं सरकार अपने सेवकों द्वारा समय समय पर मतसूचियों का निर्माण और संशोधन कराती रहती है। फिर भी यह देखने को मिला है कि अनेक ग्रामीण नागरिकों का नाम मतदाता सूचियों में नहीं है और अनेक ऐसे व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में हैं जिनकी मृत्यु हुए काफी समय हो गया है। जन सेवकों की अयोग्यता और लापरवाही इसका मुख्य कारण है। उम्मीदवारों के समर्थक भी मतदाता सूची में ग्रामीण नागरिकों के पंजीकरण के सम्बन्ध में काफी सचेत रहते हैं, फलस्वरूप नागरिकों द्वारा मतदाता सूची में आप नाम पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में व्याप्त उदासीनता के कारण कोई हानि नहीं होती तथा मतदान योग्य सभी नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण हो जाता है। कहीं कहीं यह भी देखने को मिला है कि उम्मीदवारों के समर्थकों ने विपक्षी उम्मीदवार के समर्थकों के नाम मतदाता सूचियों से हटाने का कार्य भी किया है और इस प्रकार राजनीतिक नैतिकता की घोर अवमानना की है।

ग्रामीण जनता ने अपने मताधिकार के प्रयोग में भी विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की। राजस्थान में 1965 के पंचायतों के निर्वाचन में मतदान का औसत केवल 42 प्रतिशत रहा था, कुछ पंचायतों में तो मतदान का प्रतिशत केवल पांच से दस प्रतिशत रहा था।

ग्रामीणों की यह प्रवृत्ति "कोई नृप होउ हमें का हानी" को प्रकट करती है। जहां कहीं मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है इसके मूल में जाति आदेश की सक्रियता रही है। ग्रामीण जनता अभी भी स्वतन्त्र रूप से मतदान के अधिकार का उपयोग करती है, यह दृढ़ता के साथ नहीं कहा जा सकता। जागीरदारों, महाजनों, जाति प्रधानों आदि का अभी भी गांवों में पूरा पूरा प्रभाव है एवं ग्रामीण नागरिक उन्हीं के प्रभाव के अन्तर्गत कार्य करते हैं। उम्मीदवारों का चयन राजनैतिक नेता, जाति प्रमुख, महाजन, जागीरदार आदि ग्रामीण क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति कर लेते हैं और ग्रामीण नागरिक उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण नागरिक पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन में भाग लेते हैं परन्तु प्रशासन में भाग लेने के मूल में जो सक्रियता होनी चाहिए वह उन लोगों में विद्यमान नहीं है। पंचायती राज के प्रशासन को दृढ़ता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को उनके उत्तरदायित्व का बोध कराया जाए और उन्हें प्रशासन के कार्यों में पहल करने के महत्व से परिचित कराया जाए।

जन प्रतिनिधि

पंचायती राज प्रशासन में जन प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जन प्रतिनिधियों को नीति निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान, ग्राम पंचायतों के सरपंच, क्षेत्र के संसद और विधानसभा के सदस्य प्रमुख जन प्रतिनिधि हैं। जिला प्रमुख जिलापरिषद का तथा प्रधान पंचायत समिति का प्रमुख राजनीतिक मुखिया होता है। जिला परिषद और पंचायत समिति के नीति निर्माण में इनका प्रमुख हाथ रहता है। पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न समितियों में भी जन प्रतिनिधियों का विशेष स्थान होता है। लेखक ने कुछ जिला परिषदों, पंचायत समितियों और कुछ प्रमुख समितियों की बैठकों में उपस्थित होकर इन संस्थाओं की कार्यवाही को देखा है एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सामान्य रूप में प्रमुख, प्रधान, समितियों के अध्यक्ष पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन में अपनी भूमिका का निर्वाह उचित रूप से कर रहे हैं।

जनसेवक

पंचायती राज प्रशासन में जन सेवकों की हिस्सेदारी अत्यधिक महत्व को है। सार्वजनिक सेवक होने के साथ ही साथ वे नागरिक भी हैं अतः प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी दोहरी हो जाती है। वे निर्वाचन में मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं, उम्मीदवारों के चयन में रुचि रखते हैं तथा सार्वजनिक सेवक के रूप में स्वीकृत नीतियों को क्रियान्वित करने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद के सचिव, सह सचिव तथा अन्य जिला स्तर के अधिकारीगण जिला परिषद अथवा विभिन्न समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं। ये लोग जन प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, नीति निर्माण में उनको परामर्श देते हैं। पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, ग्रामसेवक आदि समिति अथवा समिति की विभिन्न समितियों में भाग लेते हैं तथा जन प्रतिनिधियों को योजना बनाने, नीति का निर्माण करने आदि कार्यों में सहयोग देते हैं। जब नीति और योजना का निर्धारण हो जाता है, तो जन सेवक पूरी निष्ठा से उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य करते हैं। कुछ जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों एवं उप-समितियों के कार्यों का अध्ययन कर लेखक इस परिणाम पर पहुंचा है कि कुछ अपवादों को छोड़कर सार्वजनिक सेवक प्रशासन में सन्तोषजनक योगदान कर रहे हैं। कहीं कहीं जीप, पंचायत समिति की सम्पत्ति आदि को लेकर जन प्रतिनिधियों और सार्वजनिक सेवकों में विवाद हुए हैं, परन्तु वे अधिक महत्व के नहीं है। सार्वजनिक प्रतिनिधि यह स्वीकार करने लगे हैं कि नीति निर्माण में परामर्श देना जन सेवकों का कर्त्तव्य है, जन सेवक यह मानने लगे हैं कि परामर्श को स्वीकृत करने या न करने के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधि स्वतन्त्र है। विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय जन सेवक यदि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कार्यों में अधिक रुचि प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दें तो पंचायती राज प्रशासन को काफी दृढ़ता प्राप्त हो सकेगी तथा जन सेवकों की हिस्सेदारी प्रशासन में बढ़ सकेगी।

प्रमुख नेता

ग्रामीण क्षेत्र में अनेक प्रमुख व्यक्ति गैर राजनीतिक हैं। सम्पत्ति, शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व आदि के कारण अनेक व्यक्तियों को ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये व्यक्ति ग्रामीण राजनीति में भाग नहीं लेते। राजनीति ने व्यवसाय का रूप ग्रहण कर लिया है, फलस्वरूप यह क्षेत्र अत्यन्त हीन एवं गन्दा माना जाने लगा है। व्यक्तिगत व्यापार एवं कृषि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण भी अनेक प्रमुख व्यक्ति सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में आगे नहीं आना चाहते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्तियों की पंचायती राज प्रशासन में प्रमुख हिस्सेदारी होती है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से विकास के जो कार्य किए जाते हैं, वे कार्य गैर राजनैतिक प्रमुख निजी रूप से सम्पन्न कराते हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर राजनीतिक प्रमुखों ने स्कूल भवनों का निर्माण कराया है, कृषि के विकास के लिए निजी रूप से प्रयत्न किए हैं, छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए हैं, सामाजिक सेवा एवं शिक्षा के विकास में योगदान किया है। परन्तु विकास सम्बन्धी यह कार्य बहुत कम मात्रा में किए गए हैं। आज भी ग्रामीण जनता विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की ओर ही अधिक देखती है। संक्षेप

में गैर राजनीतिक प्रमुखों और सामान्य ग्रामीणों ने स्वतः विकास कार्य करने की सम्भावनाओं पर विचार करना भी प्रारम्भ नहीं किया है। कहीं कहीं भजन मण्डलियां और युवक मण्डल मनोरंजन और सामाजिक सेवा कार्य करने हेतु संगठित किए गए हैं, परन्तु इस दिशा में अभी काफी कुछ करना शेष है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी, वे अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में निहित कमजोरियों ने उद्देश्य प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न की हैं। राजनीति के व्यवसाय का रूप ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को राजनीतिक शक्ति का केन्द्र बना लिया गया और इसके कारण पंचायती राज के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा पैदा हो गई है। इस स्थिति से निकलने के लिए नागरिकों में राजनैतिक चेतना, शिक्षा का प्रसार और स्थानीय संस्थाओं में प्रशासन के प्रति उनमें रुचि जाग्रत करना अत्यन्त आवश्यक है। नागरिकों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों और सार्वजनिक सेवकों में राजनैतिक नैतिकता का विकास करना भी अत्यन्त आवश्यक है। मानव मूल्यों के प्रति आस्था को दृढ़ करना भी जरूरी है। पंचायती राज संस्थाओं में जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाकर ही स्थानीय शासन को शक्तिशाली, कार्यकुशल और सम्मानपूर्ण बनाया जा सकता है। यदि भारत में प्रजातन्त्र को दृढ़ आधार प्रदान करना है तो स्वच्छ और कुशल ग्रामीण स्थानीय शासन को जनता की हिस्सेदारी के माध्यम से दृढ़ बनाना होगा, इसके अलावा अन्य कोई विकल्प हमारे पास नहीं है।

किसान

कन्हैयालाल शर्मा "ब्रजेश"

मेहनतकश मजदूर किसान
निकल पड़ा है सीना ताने
नई नई फसलें उगवाने
कृषि जगत का है उत्थान
मेहनतकश मजदूर किसान

चाह सुखों की लेश नहीं है
और किसी से द्वेष नहीं है
जन जन का करता कल्याण
मेहनतकश मजदूर किसान

चाहे शीत सताए गरमी
पाएंगे पर उसमें नरमी
अधरों पर उसके मुस्कान
मेहनतकश मजदूर किसान

धूल फांकता सदा रहेगा
किन्तु किसी से कुछ न कहेगा
श्रम करना है उसकी शान
मेहनतकश मजदूर किसान

नए नए आविष्कारों से
और आधुनिक औजारों से
उत्पादन में बना महान
मेहनतकश मजदूर किसान

आज विश्व को दिए चुनौती
बिना शुल्क बिन दिए फिरौती
औरों को देता अनुदान
मेहनतकश मजदूर किसान

कभी अगर दुर्भिक्ष पड़ेगा
उत्पादन बेजोड़ बढ़ेगा
और साथ में आएगा मान
मेहनतकश मजदूर किसान

विकास कार्यक्रम में व्यापारिक बैंकों का दायित्व

म० म० भालेराव एवं देवी प्रसाद पाण्डेय

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी अधिकांश जनता गांवों में रहती है। अतः देश की उन्नति गांवों के सर्वांगीण विकास पर और विशेषतया कृषि के शीघ्र विकास पर निर्भर है। स्वाभाविक है कि देश के किसी भी विकास कार्यक्रम में ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास को अधिक महत्व दिया जाए। आज से लगभग 20 साल पहले आरम्भ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भी कृषि विकास एवं ग्रामोन्नति को प्रधानता दी गई थी।

सामुदायिक विकास एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के सभी लोगों के स्वयं स्फूर्त सहयोग से सम्पूर्ण समुदाय की आर्थिक व सामाजिक प्रगति की स्थिति बनाई जाती है। इस प्रकार सामुदायिक विकास एक ऐसा जन आन्दोलन है जो लोगों के दृष्टिकोण एवं कार्य पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन लाता है जिससे वे उन्नत जीवन बिता सकें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में 2 अक्तूबर, 1952 में 55 परियोजनाओं को लेकर शुरू किया गया था जिनके अन्तर्गत लगभग 27 हजार गांव तथा 1.67 करोड़ जनसंख्या समाविष्ट थी।

इस कार्यक्रम से लोगों में उन्नत जीवन की आकांक्षा का जन्म हुआ है तथा ग्रामीण निर्माण कार्यों में लोगों का योगदान भी कम नहीं रहा। उन्नत कृषि व्यापक स्तर पर अपनाई जा रही है। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, उन्नत औजार, कीटनाशक दवा आदि का प्रयोग भी काफी मात्रा में बढ़ा है। मेड़बन्दी व चकबन्दी की प्रगति कुछ राज्यों में ठीक हुई है, सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। गांवों में पाठशाला, पंचायत घर, पुस्तकालय, चिकित्सालय तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधाएं काफी मात्रा में बढ़ी हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्रगति कुछ राज्यों में सन्तोषजनक है। फल, तरकारियों की खेती तेजी से अपनाई जा रही है तथा पशु पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक उद्योगों का विकास भी तेजी से हो रहा है जिससे सन्तुलित आहार कार्यक्रम को उचित प्रोत्साहन मिल रहा है। सहकारी संस्थाएं तथा पंचायती राज संस्थाएं इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योग दे रही हैं, जिससे भारत के ग्रामीण अंचलों में लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत करने में सहायता मिली है। इतना होते हुए भी देश की विशालता एवं तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस कार्यक्रम को अभी भी अनेक चुनौतियों का सामना करना होगा। यद्यपि इस कार्यक्रम को ठीक ढंग से चलाने के लिए एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था ग्रामीण अंचलों में स्थापित की गई है तथापि प्राविधिक मार्गदर्शन एवं वित्तीय साधनों के अभाव में कार्यक्रम की गति कुछ मन्द रही है। इसे पूर्णतया सफल बनाने के लिए जरूरी है कि व्यापारिक बैंकों की मदद ली जाए। राष्ट्रीयकरण के बाद इस कार्यक्रम के प्रति व्यापारिक बैंकों का उत्तरदायित्व बढ़ गया है और आशा की जाती है कि ये बैंक इस चुनौती का सामना करने में पूर्णतया समर्थ हैं।

राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में अपना शाखा विस्तार कार्यक्रम लागू करने की दिशा में काफी प्रगति की है। इस प्रकार जुलाई 69 से अप्रैल 71 की अवधि में इन बैंकों ने 3419 नए कार्यालय खोले। इन 3419 नए कार्यालयों में से 2934 कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने खोले और इनमें से 70 प्रतिशत कार्यालय प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राष्ट्रीयकरण के समय इन बैंकों के लगभग 23 प्रतिशत कार्यालय ही ग्रामीण क्षेत्रों में थे जो अब बढ़ कर 36 प्रतिशत हो गए हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा सहकारी आन्दोलन बचत को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। बचत को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापारिक बैंकों ने अमानतें आकर्षित करने की दिशा में भी काफी प्रगति की है। राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से इन बैंकों ने लगभग 70 करोड़ रुपयों की अमानतें आकर्षित कीं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि, लघु उद्योग, यातायात आदि क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। जून, 1969 में राष्ट्रीयकरण के समय कृषि, लघु उद्योग, यातायात, शिक्षा आदि क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों से साख प्राप्त करने वाले खातेदारों की संख्या केवल 2.8 लाख थी जो बढ़कर मार्च, 1971 में 11.7 लाख हो गई तथा इन खातेदारों द्वारा प्राप्त कुल साख इस अवधि में दुगुनी होकर 897.3 करोड़ रुपयों तक बढ़ी। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल साख राशि में कृषि, लघु उद्योग, यातायात आदि का हिस्सा जून 1969 में केवल 14.5 प्रतिशत था जो बढ़कर मार्च 1971 में 22.8 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों को साख प्रदान करके इन बैंकों ने कृषि विकास की दिशा में हाथ बंटाया है। साख प्राप्त करने वाले किसान खातेदारों की संख्या जून 69 से मार्च 71 की

अवधि में 1.72 लाख से 7.96 लाख तक बढ़ी। प्रति किसान खातेदार साख राशि जो 2500 रुपये थी वह 1000 रुपये रह गई जिससे यह प्रमाणित होता है कि व्यापारिक बैंक बड़े किसानों के साथ साथ अब धीरे धीरे छोटे किसानों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार 2 हैक्टेयर तक जोतवाले प्रत्यक्ष रूप से साख प्राप्त करने वाले किसान खातेदारों की संख्या कुल किसान खातेदारों की संख्या के लगभग 50 प्रतिशत तक हो गई। इन बैंकों ने समन्वित रूप से अपना कार्य चलाने तथा प्राविधिक मार्गदर्शन के लिए 1968 में 'कृषि वित्त निगम' स्थापित किया तथा 'लीड बैंक' परियोजना चालू की।

व्यापारिक बैंकों के पास प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है। इन क्षेत्रों की कुछ अपनी कठिनाइयां है जैसे कि प्रकृति पर निर्भरता, अत्यधिक जोखिम एवं अनिश्चितता, शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद, अत्यधिक परिवर्तनशील कृषि मूल्य तथा किसानों में निरक्षरता आदि।

इन रुकावटों के कारण व्यापारिक बैंक विकास कार्यक्रम में अपना उत्तरदायित्व पूरे तौर से नहीं निभा पाए हैं। किन्तु इस दिशा में अधिक प्रभावशाली कदम उठाकर इन बैंकों को निम्नांकित कार्यों के लिए अधिक से अधिक ऋण उचित समय पर, उचित ब्याज दर पर तथा सुविधाजनक जमानत पर एवं निरीक्षण की पर्याप्त सुविधाओं के साथ प्रदान करने के प्रयत्न करने होंगे।

1. सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से या पंचायतों, सहकारी संस्थाओं या कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से कुएं, नलकूप, तालाब, सिंचाई की नालियों आदि के निर्माण के लिए तथा पम्प व इलेक्ट्रिक मोटर खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।

2. मेड़बन्दी, चकबन्दी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, भूमि समतल करने तथा फल तरकारियों की खेती आदि कार्यों के लिए किसानों को या सहकारी संस्थाओं को मध्यकालीन ऋण प्रदान करना।

3. पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन तथा धान, कपास, तिलहन, गन्ना, फल, तरकारियां, दूध आदि से सम्बन्धित कृषि विधायन उद्योगों के लिए किसानों को या सहकारी संस्थाओं को मध्य व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।

4. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए सहकारी विद्युत समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के ऋणपत्र खरीदना।

5. सभी सहकारी संस्थाओं की हिस्सा पूंजी में योगदान करना, उन्हें गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना तथा भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र खरीदना।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर इंजिन आदि विभिन्न प्रकार के उन्नत कृषि यन्त्रों की मरम्मत के लिए आवश्यक कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने, कारीगरों, किसानों, सहकारी संस्थाओं, कृषि यन्त्र निर्माताओं या कृषि उद्योग निगमों को मध्यम व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।

इस तरह अपना ऋण प्रदाय कार्यक्रम तेजी से विकसित करके तथा कृषि व लघु उद्योगों के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करके व्यापारिक बैंक विकास कार्यक्रम में अपना योग दे सकते हैं।

चम्बल घाटी की समस्या.....[पृष्ठ 1 का शेषांश]

इसके अलावा, यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। भिण्ड और मुरैना जैसे बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े उद्योग चालू किए जा सकते हैं जबकि गांव में कृषि पर आधारित छोटे बड़े उद्योग आसानी से चलाए जा सकते हैं। इनसे क्षेत्र में खुशहाली आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

डाकू समस्या के मूल में एक कारण यह भी हो सकता है कि कुछ साहसिक वृत्तियों के युवकों को अपनी वृत्तियों के अनुरूप उचित मार्ग न मिल पाता हो और डकैती जैसे धन्धे की ओर प्रवृत्त हो जाते हों। इसके लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में साहसिक युवकों को, जो खासतौर से डकैती का धन्धा अपनाते हैं, पुलिस तथा फौज की नौकरियों में स्थान दिया जाए। वहां उनकी वृत्तियों को तदनुसार साहसिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और वे क्षेत्र की जनता के लिए समस्या न बनकर राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। असल बात यह है कि जब यहां की जनता आर्थिक दृष्टि से खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगी तभी यहां वास्तविक सभ्य और शिष्ट नागरिक जीवन का समारम्भ होगा।

हरित क्रान्ति व सामुदायिक विकास योजना

ब्रजमोहन पाण्डे

नेशनल हैराल्ड (4 मार्च 1972) ने अपने सम्पादकीय में किसी एक सरकारी रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सामुदायिक विकास खण्डों ने हरित क्रान्ति लाने में अपना पूर्ण दायित्व निभाया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि 1965-66 से 1971-72 की अवधि में उन्नतिशील बीजों की खपत 5 प्रतिशत अधिक हुई है और रासायनिक उर्वरक की 130 प्रतिशत।

जब से देश की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन कार्य को प्राथमिकता दी गई तभी से विकास खण्डों को यह उत्तरदायित्व दिया गया कि वे अपने कार्यक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि कार्य को ही दें। विकास अधिकारी, उसकी टीम के सदस्य तथा ग्रामसेवकों से यही अपेक्षा की जाने लगी कि वे अपना अधिक समय इसी कार्य में दें। ग्रामसेवकों को तो यह आदेश भी दिए गए कि उनका 80 प्रतिशत समय केवल कृषि कार्य में ही लगना चाहिए। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कृषि की उन्नति पर ही निर्भर है। खाद्यान्न की कमी थी, और उसे पूरा करना था, ताकि देश को बाहरी देशों के सामने हाथ न पसारना पड़े। आर्थिक दबाव के अतिरिक्त देश पर राजनीतिक दबाव भी पड़ रहा था।

अतएव विकास खण्डों की पूरी मशीनरी, लगन व तत्परता से कृषि कार्य में जुट गई। कार्यकर्त्ताओं को नई विधियों, नए बीजों, नए उर्वरकों, खेती के नए उपकरणों आदि की जानकारी दी गई। उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजा गया, गोष्ठियां आयोजित की गईं, प्रदर्शन दिखाए गए और इन सब तरीकों से उन्हें समुचित रूप से नए 'रोल' के लिए तैयार किया गया।

ग्रामवासियों तथा विशेषकर किसानों को भी नए उत्तरदायित्व सम्हालने के लिए प्रेरित किया गया। प्रत्येक कृषि अभियान के पूर्व ही उनके बीच गोष्ठियां की गईं। हर ग्रामसभा की मीटिंग की गई। कई किसानों के खेत में उन्हीं के द्वारा कृषि प्रदर्शन आयोजित किए गए। इससे यह लाभ हुआ कि प्रदर्शन के दौरान किसान को नई कृषि विधि का स्वयं ज्ञान होता रहा। पहले ये प्रदर्शन सरकारी कृषि फार्मों पर होते रहे। उनसे किसान साधारणतया प्रेरित नहीं होता था, क्योंकि वह सोचता था कि इन फार्मों पर सरकार की ओर से बहुत सुविधाएं प्राप्त हैं, पैसा बहुत खर्च किया जाता है, काम करने वाले बहुत हैं। पर अपने ही खेत पर जब उसी के हाथों प्रदर्शन किया गया तो उसे विश्वास हो गया कि वह भी उतना ही पैदा कर सकता है। बल्कि अब तो प्रगतिशील किसान चारों तरफ कहने लगे हैं कि वे अपने खेत में सरकारी फार्मों से भी अच्छी फसल उगा सकते हैं। बहुत मानों में यह सत्य भी है।

इसका एक ज्वलन्त उदाहरण यह है कि किसानों के परिश्रम से आज देश में खाद्यान्न की बिलकुल कमी नहीं है। सरकारी गोदामों में आज अनाज भरा पड़ा है। बताया जाता है कि आठ लाख टन का एक सुरक्षित कोष बन चुका है। अभी पाकिस्तान के साथ 14 दिनों की लड़ाई में खाद्यान्नों का भाव अपने ही स्तर पर रहा जिसके कारण अन्य वस्तुओं के भाव भी स्थिर रहे। प्रत्यक्ष है कि आज का किसान अब रूढ़िवादी नहीं है, जैसा कि देश के समाज वैज्ञानिक उसे समझे बैठे थे। किसान को अब यह संज्ञा देना उसके साथ अन्याय करना होगा।

कुछ वर्ष पूर्व किसान को ये सुविधाएं सुलभ नहीं थीं जो आज हैं। उसके प्रति समाज में आदर नहीं था। सिंचाई का वह मुहताज रहा, उन्नतिशील बीज उसे प्रचुर मात्रा में मिल नहीं पाता था, उर्वरक का उसको ज्ञान ही नहीं था, नई विधियां उसे केवल सरकारी फार्म पर ही देखने को मिलती थीं, विशेषज्ञों से उसका सम्पर्क नहीं था, कृषि विभाग के अधिकारियों से वह भय खाता था। फलस्वरूप वह अपने सीमित साधनों का ही उपयोग करता था और जो कुछ भी उसको जमीन में पैदा हो जाता था उसी से वह सन्तुष्ट रहता था। उसने अपने भाग्य को ही कोसना शुरू किया और विधाता ही उसका एक मात्र सहारा था।

ऐसी स्थिति में वह करता भी क्या? उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। बजाए इसके कि इस मर्ज की दवा खोजी जाती, उसे केवल रूढ़िवादी कहकर समाज वैज्ञानिकों ने सन्तोष दिया। वे अपने शोध प्रतिवेदनों में यही उल्लेख करते रहे, पर उन्होंने यह नहीं सुझाया कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है।

पर कृषि वैज्ञानिक और प्रसार कार्यकर्त्ता खाली नहीं बैठे। प्रयोगशालाओं में व फार्मों में कृषि के क्षेत्र में शोध कार्य हुए। नई जानकारी मिली, नए बीज सामने आए, जुताई के नए उपकरण बनाए गए, उर्वरकों की सार्थकता साबित की गई। फलतः एक नई ज्योति दिखाई दी। पर यह प्रकाश किसानों के बीच कैसे फैले? तभी विकास खण्डों ने अपना उत्तरदायित्व निभाने का संकल्प लिया और उन्नत कृषि का सन्देश घर घर पहुंचाने का अभियान प्रारम्भ किया। उन्होंने व्यक्तिगत सम्पर्क किया, तथा सामूहिक रूप से भी लोगों से मिले, मीटिंगों में गए,

किसान के खेत पर पहुंचे, नुमाइश लगाई, किसान मेले आयोजित किए, लोकगीतों, पोस्टरों, फिल्मों द्वारा प्रचार किया, किसानों को दृश्य दर्शन पर ले गए और ऐसे अनेक उपायों से उन्नत कृषि के बारे में लोगों को जानकारी दी। उसका परिणाम आज हम सभी के सामने हैं।

तो स्पष्ट है कि यदि किसान को सही दिशा दर्शन दिया जाए और उसको सुविधाएं उचित समय पर, उचित मात्रा में, प्रदान की जाएं तो वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। उसने करके दिखाया है। वह अब केवल भाग्य के सहारे नहीं बैठा है। आज का किसान बहुत जागरूक है। वैज्ञानिक कृषि की ओर उन्मुख है और अपने परिश्रम और लगन से ही आज देश में हरित क्रान्ति लाया है।

जहां एक ओर कृषि उत्पादन कार्यक्रम को सफल बनाने तथा देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का पूर्ण श्रेय किसानों को ही दिया जा सकता है, वहां दूसरी ओर यह कहना सर्वथा उचित ही होगा कि इस श्रेय के भागीदार सामुदायिक विकास खण्डों के कार्यकर्त्ता भी हैं। क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक कृषि युग की देन को प्रत्येक कृषक के पास सुलभ कराने के लिए कुछ माध्यम चाहिए और माध्यम भी ऐसा हो जो स्वयं उन्नत कृषि की तकनीक से अभिज्ञ हो। साथ साथ इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में निपुण हो, क्योंकि केवल ज्ञान का अर्जन ही पर्याप्त नहीं है, उसे दूसरों के दिमाग व दिल में भरने की क्षमता भी होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ किस प्रकार सुपरफास्फेट अथवा यूरिया का सही प्रयोग किया जाए, यह किसान को बतलाना ही पड़ेगा। किस प्रकार कीटनाशक घोल बनाया जाए और किस प्रकार उसका मशीन से छिड़काव किया जाए, इसका ज्ञान किसान को कराना ही है। इन सबके लिए तकनीकी ज्ञान रखने वाले कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होती है। ऐसे कुशल और निपुण कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति इन विकास खण्डों में की गई है। फिर केवल कृषि के साधनों को सुलभ कराना ही काफी नहीं है। उनके बारे में किसानों में विश्वास पैदा करना भी आवश्यक है। यह काम भी इन विकास कार्यकर्त्ताओं का है। इन सब कार्यों में इन विकास कार्यकर्त्ताओं ने अपना योग दान दिया है। जितना निकट सम्पर्क इन विकास कार्यकर्त्ताओं का किसानों से और ग्रामवासियों से है, उतना किसी अन्य सरकारी कर्मचारियों का नहीं है। सम्पर्क के साथ-साथ ग्रामवासियों का विश्वास भी इन्होंने जीता है। अतएव इनकी बताई हुई विधियों का किसान तत्परता से पालन करता है, तभी यह जागृति आज गांवों में आ सकी है। पण्डित नेहरू ने कहा था "देश में सामुदायिक विकास खण्ड छोटे छोटे दीपकों के समान है।" इन्हीं दीपकों ने आज ग्रामीण भारत के आंगन को आलोकित किया है। इन्हीं की ज्योति की किरणों से भारत का कोना कोना प्रकाशित है।

पर तब भी बार बार यह आवाज उठ जाती है कि सामुदायिक विकास खण्डों ने कुछ कार्य नहीं किया और सारी योजना असफल है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आवश्यक रूप से एक शिक्षा का कार्यक्रम है। प्रत्येक शिक्षा का कार्यक्रम अपनी एक गति से ही चलता है। एक बालक को पूरी शिक्षा ग्रहण करने में काफी समय लगता है। फिर सामुदायिक विकास का शिक्षा कार्य तो अधिकतर प्रौढ़ों के ही बीच में चला। जाहिर है कि प्रौढ़ को शिक्षित करने में बहुत समय लगेगा ही। यही कारण है कि इस योजना को फल प्राप्त करने में समय लगा, पर अन्ततोगत्वा वह अपने 'मिशन' में सफल हुई। धैर्य का फल अच्छा होता है। श्री एस० के० डे० ने कहा था कि "सामुदायिक विकास का उद्देश्य है मानव में पूंजी लगाना।" कुछ कार्य और व्यवसाय ऐसे होते हैं कि पूंजी लगाने से शीघ्र ही लाभ पहुंच जाता है, परन्तु मानव समाज का निर्माण एक धीमी गति से ही चलता आया है। मानव की अपनी समस्याएं हैं, सीमाएं हैं, मूल्य हैं, संस्कृति है और इन सबको ध्यान में रखकर ही उसके समाज का निर्माण कार्य सम्पादित किया जाता है। मेरी राय में ग्रामीण भारत के निर्माण में सामुदायिक विकास योजना ने अच्छी भूमिका निभाई है। अतएव इस योजना को अधिक बल प्रदान किया जाना चाहिए। इस योजना में रत कार्यकर्त्ताओं को भी आवश्यक प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

सामुदायिक विकास के पिछले पांच वर्ष

भारत की जनसंख्या का अधिकांश गांवों में रहता है। गांवों का आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। गांधीजी ने कहा था कि भारत का असली स्वरूप गांवों में देखने को मिलता है। सामुदयिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामवासी के जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा गांवों को समृद्ध बनाना है। ग्राम्य जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकार और जनता के आपसी सहयोग से रचनात्मक कार्यों द्वारा ये उद्देश्य पूरे किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों के सामूहिक और व्यक्तिगत कल्याण के लिए उन्हें स्वावलम्बन तथा आत्मविश्वास की भावना से अपनी तथा पूरे समुदाय की आर्थिक-सामाजिक दशाएं सुधारने के लिए प्रेरित किया जाता है।

अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,000 सामुदायिक विकास खण्डों का एक विस्तृत जाल पूरे देश में फैलाया जा चुका है। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में ये विकास खण्ड एक ऐसे छोटे दीपक के समान हैं जो अपने चारों ओर प्रकाश की किरणें बिखेरते रहते हैं। प्रशासनिक तौर पर जिला स्तर से नीचे पहली बार एक ऐसी व्यवस्था की जा सकी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन है। इनसे ग्रामवासियों की अरसे से महसूस की जा रही जरूरतें दूर के शहरों की बजाए उनके घर के निकट ही पूरी की जा सकेंगी।

प्रशासनिक ढांचे में विकास खण्ड कर्मचारियों ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कमी की पूर्ति की है। ग्राम सेवक एक बहुधन्धी कर्मचारी है जिसे गांवों और उच्च स्तर के तकनीकी विभागों के बीच कुछ अर्थों में एक सन्देशवाहक का काम करना पड़ता है। दूसरे अर्थों में वह ग्रामवासियों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी है। ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाने में उसका बड़ा योगदान है। हरित क्रान्ति के मामले में सुधरे तौर-तरीकों की जानकारी के लिए उससे तत्काल सुविधाएं मिली हैं, अन्यथा उसके प्रयासों के बगैर जनता में इसका प्रचार इतना अच्छा न हो पाता। विकास खण्ड अधिकारी को एक प्रशासक, समन्वयकर्त्ता और नियोजक के रूप में माना जाता है। कोई कार्यक्रम उसी हद तक सफल माना जाता है जहां तक उसकी उपलब्धियां उसके उद्देश्यों से मेल खाती हैं। इस कार्यक्रम के कुछ उद्देश्यों, जैसे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना पैदा करना आदि का मूल्यांकन करना तो कठिन है परन्तु उसकी उपलब्धियों से इसकी सफलताओं का पता लगाया जा सकता है। 1970-71 में 1965-66 की अपेक्षा उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग 5 प्रतिशत बढ़ा है और रासायनिक खादों का उपयोग 130 प्रतिशत बढ़ा है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और ग्रामीण दस्तकारियों तथा शिल्पों के मामलों में गांववालों की हालत अब बेहतर है।

पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से जनता के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाना, इस दिशा में अगला कदम था। प्राचीन भारत में गांव का शासन गांव वालों के हाथ में होता था परन्तु अंग्रेजी राज्य में यह प्रथा खत्म हो गई। स्वतन्त्र भारत की पहली जरूरत थी पंचायतों की पुनर्स्थापना। ग्राम पंचायतें गांव के लोगों को हर काम के लिए सरकार का मुंह ताकने की बजाए आत्मविश्वास की भावना से अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रेरित करती हैं। नागालैण्ड, जम्मू-कश्मीर और कुछ केन्द्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर पंचायती राज अब देशभर में फैल चुका है। इस समय 2,17,563 ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं और इनमें 36,29,20,000 जनसंख्या वाले 5,61,328 गांव शामिल हैं।

पंचायती राज ने गांवों में नए नेताओं को प्रकाश में आने में सहायता दी है और उनको बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के योग्य बनाने में प्रशिक्षणशाला का काम किया है। इसने ग्रामीण समाज का आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात के उदाहरणों से हमें पता लगता है कि योजना बनाने और योजनाओं को कार्यान्वित करने की क्षमता पंचायतों में धीरे-धीरे बढ़ रही है। इन संस्थाओं पर काफी भरोसा किया जाता है और विभिन्न विभागीय कार्यों को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं के माध्यम से धन खर्च किया जाता है। स्थानीय कार्यों के लिए ये संस्थाएं निजी प्रयत्नों से भी काफी रुपया इकठ्ठा करती हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से ही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समन्वित ढंग से हल करने का प्रयास आरम्भ किया है। इससे जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच बहुत निकट का सम्पर्क स्थापित हो गया है और दोनों पक्षों के मन में लोकतन्त्र की गहरी छाप पड़ी है।

चौथी योजना में विकास खण्डों के लिए वित्तीय व्यवस्था का काम राज्य

सरकारों को सौंप दिया गया है और स्वीकृत धन का उपयोग करने के लिए राज्यों को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। इसके बावजूद ग्रामीण जीवन के सुधार का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ अन्य योजनाओं के माध्यम से भी किया जा रहा है। इन योजनाओं के द्वारा पोषक आहार, निर्धनों के विकास और ग्रामीण रोजगार जैसी अन्य समस्याओं को हल किया जा सकता है।

हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से लोगों को पोषक आहार नहीं मिल पाता है। यह समस्या बड़ी विकट है। जनसंख्या के एक चौथाई भाग को अपेक्षित कैलोरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। यह स्थिति गरीबी, अज्ञानता एवं अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से पैदा हुई है। गांवों के लोगों को पोषक आहार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। औरतों और बच्चों के लिए संयुक्त कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम स्वावलम्बन पर आधारित है और इसके अन्तर्गत स्थानीय खाद्यों जैसे फलों, शाक-तरकारियों, मुर्गी और मछलियों आदि की बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में 5 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और छोटे शिशुओं की माताओं को पोषक आहार देकर सन्तुलित आहार की उपयोगिता प्रदर्शित की जाती है। यह कार्यक्रम देश भर में फैले 1,024 विकास खण्डों में चलाया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों के लिए संयुक्त कार्यक्रम 1969-70 में शुरू किया गया था। यह महिला मण्डलों और बालवाड़ियों के माध्यम से चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत पोषण आहार के महत्व के बारे में महिलाओं और बच्चों को जानकारी दी जाती है। यह कार्यक्रम उन ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाता है जो व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते।

आज की एक और बड़ी चुनौती यह है कि समाज के कमजोर वर्ग को जल्दी सबल बनाया जाए ताकि समाज के विकास कार्यों में वह भी हिस्सा बंटा सके। आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए आदिवासी विकास खण्ड अतिरिक्त धन देते हैं। कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

हाल ही में एक और योजना चालू की गई है, वह है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के जोरदार कार्यक्रम शुरू करने की। यह योजना 1970 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गांवों में रोजगार को बढ़ावा देना और समाज के लिए स्थायी सम्पत्ति पैदा करना है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के द्वारा रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना है। इसके अधीन सामान्यतया प्रत्येक परिवार से एक बालिग व्यक्ति को ही रोजगार मिलेगा।

ऐसे क्षेत्रों में जहां बार-बार सूखा पड़ता है, वहां के खेतिहर मजदूरों को राहत पहुंचाने के वास्ते ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें चौथी योजना के दौरान 1 अरब रुपया खर्च किया जाएगा। ऐसी आशा की जाती है कि प्रति वर्ष काम के दिनों में इन कार्यों में 25,000 से 30,000 लोगों को रोजगार मिला करेगा और इन पर लगभग 1 करोड़ रुपया व्यय होगा। देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां बार-बार सूखा पड़ता है, इन्हीं जिलों में ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ऐसे निर्माण कार्यों पर ज्यादा बल दिया जाएगा जो स्थायी हों और उस क्षेत्र के अभावों को दूर करने में सहायक हों।

कृषक : श्रम प्रतिमान

सूर्यकुमार पाण्डेय

यह कृषक श्रम प्रतिमान है,
जब हाथ में ले 'हल' वृषभ युग संग में श्रम को चला,
तो कौन सा है प्रश्न जिसका मिल न पाए हल भला।
यह कृषि धरा की जान है,
यह कृषक श्रम प्रतिमान है।
जब यह धरा के वक्ष को है चीरता ले फावड़े,
तब उर्वरा भू अन्न लेकर है बिछाती पांवड़े।
उसका यही सम्मान है,
यह कृषक श्रम प्रतिमान है।
जब दोपहर में देह जल, जल से धरा को सींचती,
सन सन हवा में सन रहे पग की कथा भू खींचती।
तब लहराता उद्यान है,
यह कृषक श्रम प्रतिमान है।
जब धूल से सन शाम को आराम हित घर को चला,
तब मेघ मण्डित पूर्णिमा शशि सी मुखाकृति की कला।
करती उदित मधु गान है,
यह कृषक श्रम प्रतिमान है।

सयाने तो कहतेः "जिनकी जितनी लाठियां उनका उतना ही ज़ोर"

पर भगत् इसको सच नहीं मानता। वह जानता है कि नई खेती-बाड़ी और शिक्षा-दीक्षा के कारण आज लाठियों की नहीं दिमाग की जरूरत है। अपनी सूझ-बूझ के कारण ही तो उसने अपनी फसलों की पैदावार इतनी बढ़ा ली है। शिक्षा-दीक्षा से उसके बच्चे और तरक्की करेंगे।

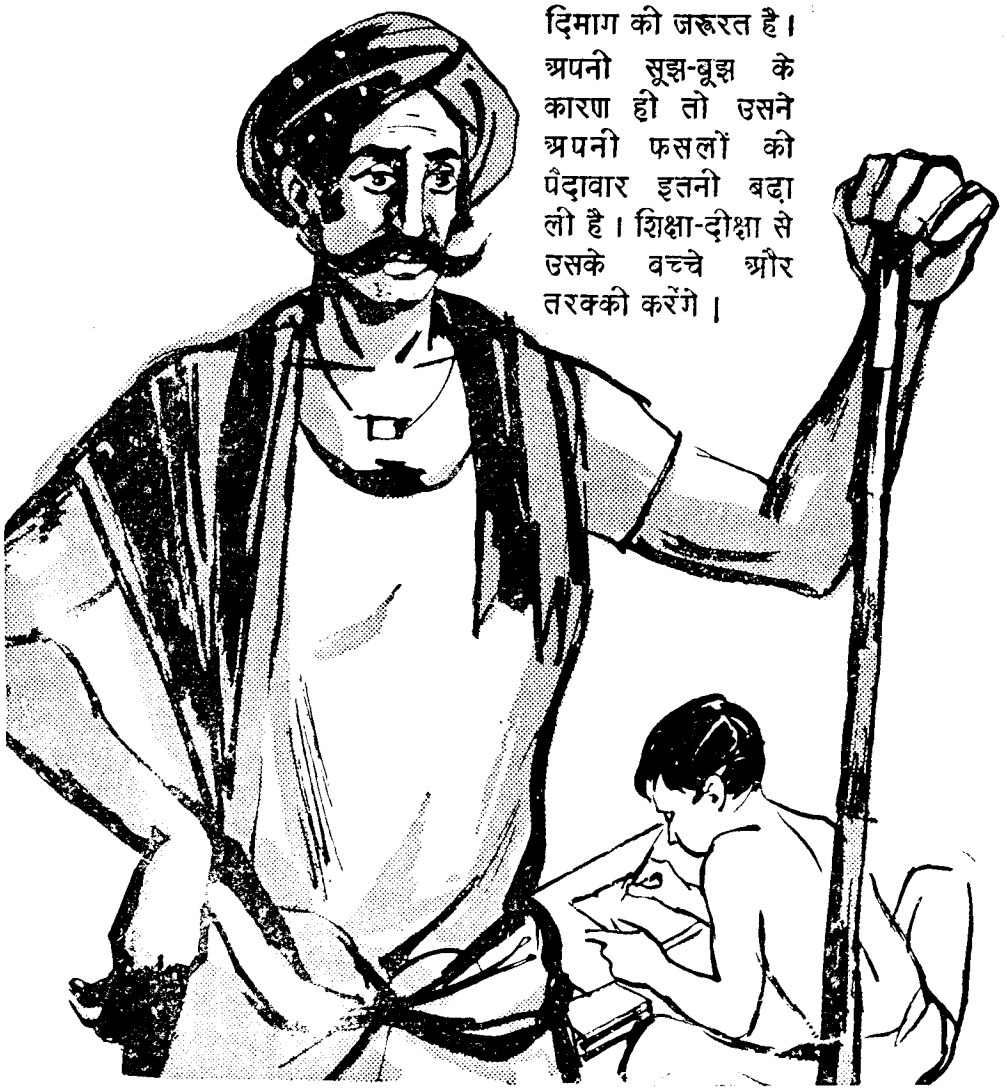

davp 71/381

रेडियो आइसोटोप से कृषि में नई क्रान्ति

कृष्णकुमार

पांच वर्ष पूर्व अमेरिका के पैडक बन्धुओं ने विकासशील देशों में कृषि की दशा का अध्ययन कर भविष्यवाणी की कि अगले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों में अकाल की स्थिति हो जाएगी। कुछ देशों की स्थिति इतनी दयनीय समझी गई कि उन्हें इस नियति से उबारना असम्भव सा लगता था। भारत को उन्होंने इन्हीं देशों की श्रेणी में रखा। लेकिन देश के कृषि वैज्ञानिकों के सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत न केवल अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है, बल्कि यह अनाज का निर्यात करने की स्थिति में है।

इस हरित क्रान्ति का श्रेय अन्य बातों के अतिरिक्त परमाणु के शान्तिपूर्ण प्रयोग को कम नहीं जाता। कृषि में परमाणु के प्रसार से मानव मात्र के भूख से छुटकारे की सम्भावना बढ़ी है। भारत के कृषि विकास में तो परमाणु का प्रयोग इतना विस्तृत रहा है कि इससे कृषि का कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा। क्या अनाज, क्या बागान, क्या पशुपालन, क्या जंगलात, सभी फसलों को परमाणु से लाभ पहुंचा है। रेडियो आइसोटोपों के रूप में मानव को कृषि क्रान्ति का सबसे बड़ा हथियार मिला है।

रेडियो आइसोटोप के परमाणु सक्रिय वस्तुएं हैं जो विकिरण किरणें छोड़ते हैं। ये किरणें चाहे आंखों से न देखी जा सकें, पर वैसे बड़ी प्रभावशाली होती हैं। उदाहरण के लिए ये जैविक कोशिकाओं को हानि पहुंचा सकती हैं और अधिक प्रयोग से किसी जैविक प्रक्रिया को समाप्त भी कर सकती हैं। लेकिन रेडियो आइसोटोपों के नियन्त्रित प्रयोग से आइसोटोपों को पौधों के पैतृक गुणों में परिवर्तन लाने के काम में लाया जा सकता है। इससे पौधों और जीवों की नई और बढ़िया किस्में तैयार की जा सकती हैं।

पौधों और जीवों में कृत्रिम विकास करने की सम्भावना का हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने भरपूर लाभ उठाया है। विश्व भर में म्यूटेशन की प्रक्रिया से अनाज की 100 से अधिक नई किस्में तैयार की जा चुकी हैं। ये किस्में या तो अधिक बीमारी रोधक हैं, या इन पर मौसम की विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता, या अधिक प्रोटीनयुक्त हैं और या ये परम्परागत किस्मों से अधिक उपज देती हैं। गेहूं, चावल, जौ, चारा फसलों, तिलहनों, कपास, सोयाबीन, रेशेवाली फसलों, सभी में सुधार की आशा है। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान पूसा, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने विकिरण से गेहूं की एन-पी-836 और शर्बती सोनारा, अरंड की अरुणा, फ्रेंच बीन की पूसा पार्वती किरमें तैयार की हैं। कपास की दक्षिण भारतीय किस्म एम-सी-यू-5 का विकिरण कराकर उसे उत्तर भारत में बुवाई के योग्य बनाया गया है।

ट्राम्बे के भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने विकिरण और विकसित रसायनों के प्रयोग में मूंगफली, सरसों और अलसी जैसी तिलहनी फसलों के सुधार में सफलता पाई है। यही नहीं, यहां धान, गेहूं, पटसन और चावल की कुछ किस्मों में

सुधार हुआ है, जिन्हें बाद में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान योजना में सम्मिलित कर लिया गया। मूंगफली की 10 नई किस्में तैयार की गई हैं जिनमें से दो, टी-जी-1 और टी-जी-3 को जारी करने से पहले गुणन का कार्य शुरू हो गया है। नई किस्मों में कुछ ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, कुछ में अपने पैतृकों से 10 प्रतिशत अधिक तेल है।

ट्रेसर अध्ययन

पृथकीकृत विकिरण के गुणों के कारण रेडियो आइसोटोपों को ट्रेसरों के रूप में प्रयोग किया जाता है। चाहे मामला जमीन-पानी-पौधे का हो, चाहे उर्वरकों के उचित प्रयोग की मात्रा जानने का, चाहे चारा फसलों में चिकने अम्लों के बनने की दर का, रेडियो ट्रेसर वैज्ञानिकों के लिए हितकर सिद्ध हुए हैं। इनकी सहायता से वैज्ञानिक किसान को बता सकते हैं कि वह पानी और उर्वरकों को किस मात्रा में प्रयोग करे जिससे उसे अधिकतम उपज मिल सके।

ट्रेसर अध्ययनों से पता चला है कि जब अमोनियम सल्फेट और यूरिया को धरती की सतह से 5 सेंटीमीटर नीचे बेसल ड्रेसिंग के रूप में डाला जाता है तब यूरिया अमोनियम सल्फेट की तुलना में सिर्फ 80 प्रतिशत ही कारगर है। इसी प्रकार नाइट्रेट उर्वरक धरती की सतह पर प्रयोग किए जाने पर कम कार्यक्षम सिद्ध होते हैं, पर फल आना शुरू होने से पहले नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग 'बेसिल ड्रेसिंग' की तुलना में अधिक लाभकारी पाया गया है। दूसरी ओर कम्पलेक्स नाइट्रो फास्फोरस उर्वरकों के सम्बन्ध में पता चला है कि नाइट्रो फास्फेट और अमोनियम फास्फेट में से अमोनियम फास्फेट का प्रयोग बेहतर है। इस तकनीक के प्रयोग से धरती में फास्फोरस की मात्रा जानने के तरीकों का मानकीकरण किया गया है। अब मिट्टी परीक्षण के

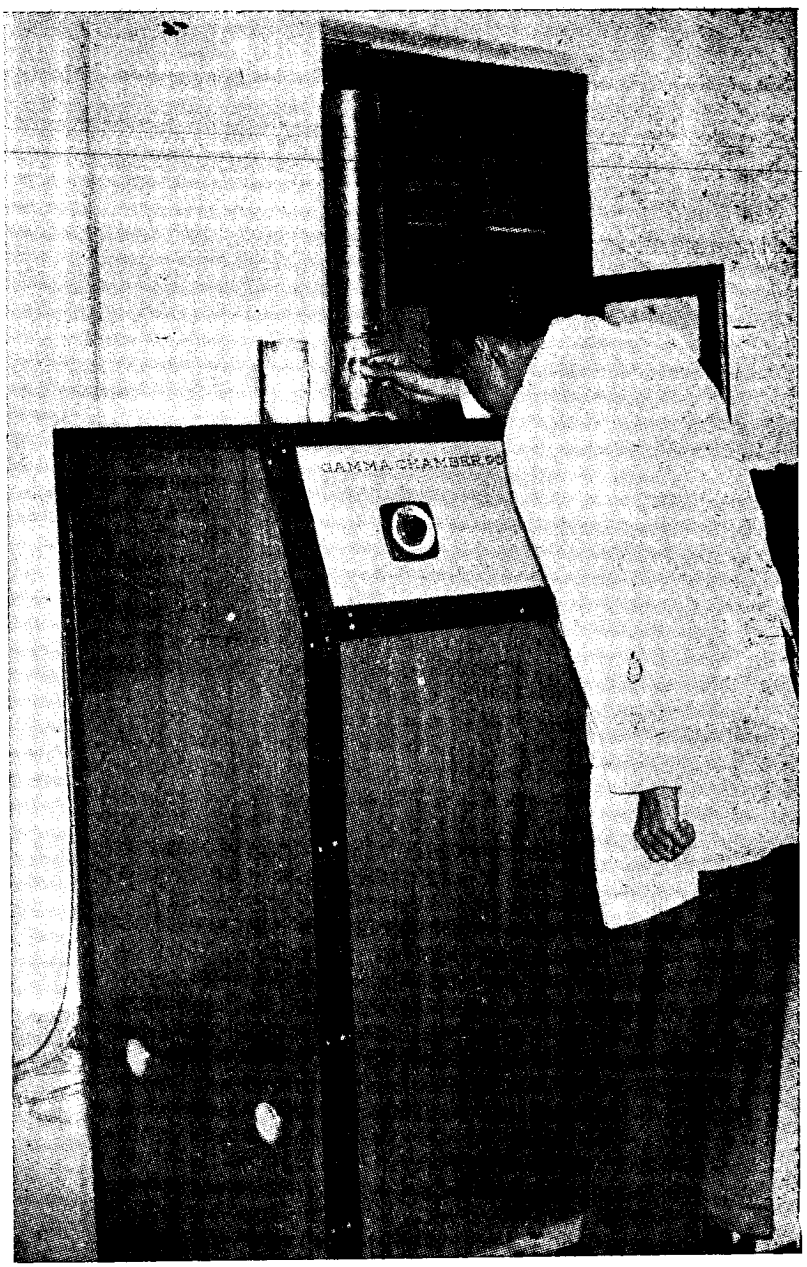

दौरान यह जानना आसान हो गया है कि अमुक भूमि में फास्फेटिक उर्वरकों के प्रयोग से उपज बढ़ेगी या नहीं। देश भर की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं इस तरीके को काम में ला रही हैं। 50-60 प्रतिशत जमीनों में फास्फोरस की कमी पाई गई है।

चूंकि बड़े पैमाने पर विकिरण का प्रयोग कीटों का सफाया कर देता है, इसलिए इसका उपयोग कीटों की रोकथाम करने, भण्डारित अनाज व वस्तुओं को कीट रहित करने और खमीर बनाने के लिए किया जाता है। खेतों में कीटों को नष्ट करने के लिए पुरुष कीटों को बांझ बनाकर छोड़ दिया जाता है। भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में इस तकनीक का विकास नारियल की लाल वीविल और आलू के पौधों के रेशे काटने वाले कीट को रोकने के लिए किया गया। अमेरिका में इसका उपयोग 'स्क्रू वार्म' कीट को खत्म करने के लिए किया गया जो पशुओं को बहुत तंग करते थे। इण्डो-

नेशिया में इस तरीके का उपयोग गन्ने के चोटी छेदक कीट और पीरू में कपास के एक कीट को रोकने के लिए हुआ।

यदि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कीटों को गामा किरणों के संसर्ग में लाया जाए तो वे बांझ हो जाते हैं और भण्डारों में अनाज को हानि नहीं पहुंचा पाते। इस तरीके का विशेष लाभ यह है कि इसे कहीं भी उपयोग में लाया जा सकता है जबकि धुआं करने का तरीका केवल भण्डार घरों में काम में लाया जाता है। रूस ने इस प्रक्रिया को प्रयोग के लिए 1959 में अपना लिया था। इसके बाद अन्य देशों में भी इसे अपनाया जा चुका है। रेडियेशन कोबाल्ट-60 से 75 किलो लोड़ की मात्रा में कराया जाता है। दूध, मछली, मांस आदि में इसे प्रयोग कर बैक्टिरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की विकास दर में कमी करके उन्हें अधिक समय तक भण्डारित किया जा सकता है और विकिरण थोड़ी मात्रा में कराकर फलों के पकने और सब्जियों में अंकुर फूटने की क्रियाओं को धीमा किया जा सकता है।

ट्रेसर के रूप में आइसोटोपों ने कृषि की बहुत सहायता की है। घाना में इसके प्रयोग से पता चला कि कोका फसल का मुख्य कीट कोका कैप्सिड खुद 30 अन्य परजीवी कीटों का शिकार हो सकता है। फ्रांस में रेडियो सक्रिय सोने को शहद में मिलाकर इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि पौधों के परागण में मधुमक्खी काफी हाथ बंटाती है। बेल्जियम में आइसोटोपों का प्रयोग एफिड कीटों का जीवन इतिहास जानने के लिए किया गया। पूसा संस्थान, नई दिल्ली में परजीवी कीटों के लार्वों को विकिरित कराया गया तो यह तथ्य सामने आया कि उनमें स्त्री की बजाए पुरुष कीट अधिक हैं। भारत और जर्मनी में मच्छरों और टिड्डयों को खत्म करने में कीटनाशकों की क्षमता का अध्ययन करने के लिए 'ट्रेसर' तकनीक प्रयोग में लाई गई।

पशुपालन उद्योग

हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की 77 प्रतिशत भेड़ें लंगवर्म रोग से पीड़ित थीं। भारतीय पशुरोग अनुसन्धान संस्थान, इज्जत नगर (उ० प्र०) ने रोग का विस्तृत अध्ययन किया और महामारी को रोकने के लिए विकिरित दवा तैयार की जिसे मुंह के रास्ते दिया गया। इसके प्रयोग से लंगवर्म रोग लगभग खत्म हो गया। जिन भेड़ों को दवा दी गई उनका वजन काफी बढ़ गया और उन्होंने ऊन भी अधिक दी। पशुओं और मुर्गियों के लिए भी ऐसी दवा तैयार किए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

रेडियो सक्रिय एमिटेट प्रोपायोनेट और ब्यूटायरेट के प्रयोग से पशुओं के शरीर में मौजूद रूमन द्वारा चिकने अम्लों के उत्पादन की मात्रा जानी जा सकती है। इससे दूध उत्पादन के लिए सबसे उचित राशन की मात्रा भी जानी जा सकेगी। दुधारू पशुओं के हाजमे को तेज करने की तकनीकों के विकास पर भी अनुसन्धान जारी है। कृत्रिम रूमन की सहायता से चारे के पौष्टिक गुणों की जांच की जा रही है।

आने वाले वर्षों में कृषि में रेडियो आइसोटोपों का प्रयोग बढ़ने की महती सम्भावनाएं हैं। कुछ देशों में बुवाई से पहले बीजों का हलका सा विकिरण कर लिया जाता है जो काफी लाभकारी होता है। आने वाली दुनिया निश्चय ही अधिक उपज, सुधरी किस्मों और कीटरोगों के प्रकोप से रहित होगी, जिसे भूख से छुटकारा मिल चुका होगा।

विकिरण द्वारा खाद्य सामग्री का संरक्षण

विश्व में उष्ण-कटिबंधीय क्षेत्रों के विकासशील देशों के लिए खाद्य सामग्री के संरक्षण के लिए आयनी-विकिरण का प्रयोग काफी प्रेरणादायक और लाभप्रद है। इन विधियों की अपूर्व विशेषताओं और क्षमताओं को देखते हुए भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने खराब हो जाने वाली खाद्य सामग्री के, विशेष रूप से उस सामग्री के जो देश के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विकिरण की विधि से संरक्षण के लिए गहन अध्ययन शुरू कर दिया गया है। यह अध्ययन गेहूं को कीड़ों से मुक्त रखने, आलू और प्याज को अंकुरित होने से रोकने, समुद्र से प्राप्त खाद्य सामग्री को काफी समय तक ठीक बनाए रखने और आम तथा केलों के देर से पकने से सम्बन्धित है। पिछले दो वर्षों के दौरान इन विधियों के व्यापक रूप से इस्तेमाल करने की सम्भावना के सम्बन्ध में अध्ययन किए जा रहे हैं।

भारत में जमा किए गए गेहूं का लगभग 15 से 20 प्रतिशत गेहूं गोदामों की उचित सुविधा और कीट-नियन्त्रण के उचित साधनों की कमी के कारण नष्ट हो जाता है। हाल ही में गेहूं का उत्पादन बढ़ जाने से गोदामों में अनाज सुरक्षित रखने की समस्या जटिल हो गई है। विकिरण से कीड़ों को मारने की विधि से कीड़ों का उनके जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं में विनाश हो जाता है और इसके अलावा इसका एक और लाभ यह होता है कि खाद्यान्नों पर बाद में इसका विषैला प्रभाव भी नहीं रहता जैसा कि रासायनिक धूमकों के प्रयोग से होता है। 'सिलों' में भण्डार किए गए गेहूं के सम्बन्ध में किए गए व्यापक अध्ययनों ने इस विधि का प्रभाव और धूम्रीकरण के मुकाबले में इसकी श्रेष्ठता प्रमाणित कर दी है।

भारत प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका महत्वपूर्ण निर्यात इस समय काफी बढ़ाया जा सकता है, यदि इसे काफी देर तक सुरक्षित रखा जा सके। भण्डारण के दौरान अंकुर फूटने और सड़ जाने से एक चौथाई प्याज इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। यही समस्या एक प्रमुख खाद्य फसल आलू के बारे में भी है। देश में लोगों के आहार में कैलोरी की कमी को पूरा करने के लिए आलू सबसे सस्ता साधन है और हाल में चित्ती रोग से मुक्त, काफी उपज देने वाली और थोड़े समय में तैयार हो जाने वाली आलू की किस्मों की काफी क्षेत्र में खेती की गई है।

प्याज और आलू दोनों के संरक्षण के लिए रसायनों के प्रयोग और शीत भण्डारण और दूसरे तरीके या तो ठीक नहीं हैं या बहुत खर्चीले हैं, जबकि विकिरण की थोड़ी मात्रा से ही वे काफी दिन तक टिकने लायक बन जाते हैं और उनके सूखने और उनके अंकुर फूटने से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। प्याज और आलू दोनों की एक ही स्थान पर गहन खेती होती है। इस कारण इनका एक साथ किरणीयन (इरैडिएशन) करना सम्भव है। तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकनों से पता चलता है कि व्यापारिक दृष्टि से इन फसलों से काफी लाभ कमाया जा सकता है और सबसे अधिक लाभ इनके उत्पादकों को ही होगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग की 40,000 टन प्याज प्रतिवर्ष किरणीयन (चमकाने) की क्षमता का अर्ध-व्यापारिक स्तर पर प्रदर्शन करने की सुविधा जुटाने की योजना है। इसके लिए संयन्त्र नासिक जिले में लगाया जाएगा, जो देश की लगभग 20 प्रतिशत प्याज उगाता है। इससे रबी की काफी फसल को अच्छी हालत में गोदामों में रखा जा सकेगा। इससे देश के ठण्डे क्षेत्रों में सुदूर इलाकों तक खरीफ की फसल को प्याज को आसानी से ले जाया जा सकेगा और इस तरह ले जाने के समय होने वाले नुकसान में भी कमी होगी। प्याज के किरणीयन पर 2 पैसे प्रति किलोग्राम खर्च आएगा। यह संयन्त्र विश्व में सबसे पहला किरणीयन का संयन्त्र होगा।

आम और केला भारत के महत्वपूर्ण फल हैं और जब वे ताजे होते हैं तो उनकी काफी कीमत होती है। आमों के ढेर लग जाने और ठण्ड के कारण केलों को नुकसान पहुंचने से उनका पूरा लाभ उठाया नहीं जा सकता और काफी फल बेकार हो जाता है। विकिरण द्वारा इनके काफी देर तक ताजे रहने से और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के समय कम खराब होने के कारण इन फलों को दूर-दूर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इस विधि से इन फलों के निर्यात व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा।

भारत से निर्यात होने वाले खाद्य-पदार्थों में, जिनसे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ काफी महत्वपूर्ण हैं। हमारा समुद्र तट काफी लम्बा है, इसलिए निर्यात होने वाले खाद्य पदार्थों की दृष्टि से और काफी मात्रा में लोगों के लिए जरूरी प्रोटीन जुटाने का साधन होने की दृष्टि से, इन तटों की क्षमता काफी अधिक है। परन्तु अभी तक इसका पूरा फायदा नहीं उठाया गया है। ऐसा इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि समुद्र से मिलने वाले खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी

शेष पृष्ठ 19 पर]

सिंचाई क्षमता का और अधिक उपयोग

सिंचाई एवं विद्युत मन्त्रालय की 1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 1971 में देश की बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता 2 करोड़ 32 लाख एकड़ भूमि थी तथा मार्च, 1972 में यह क्षमता बढ़कर 2 करोड़ 47 लाख एकड़ भूमि हो गई है। कुल क्षमता का 89 प्रतिशत ही उपयोग किया गया।

बड़ी तथा मध्यमवर्गी परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता पिछले दो दशकों में दुगुनी हो गई है। 1951 से अब तक आरम्भ की गई 576 परियोजनाओं में से 361 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 18 यूनिट से बढ़कर 90 यूनिट हो गई है, इस प्रकार पांचगुनी वृद्धि हुई है। कृषि के लिए बिजली की खपत में वृद्धि जारी है। इस समय कृषि में 10 प्रतिशत बिजली की खपत है।

1971 के अन्त तक 1 लाख 15 हजार गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था तथा 17 लाख 98 हजार नलकूप लगाए जा चुके थे, जिनसे 40 प्रतिशत ग्रामीणों को लाभ पहुंचा है। औसतन प्रति वर्ष 16,000 गांवों तथा 2 लाख 70 हजार नलकूपों को बिजली पहुंचाई गई।

राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम 1954 में आरम्भ किया गया था, जिससे बाढ़ वाले 63 लाख हैक्टेयर इलाके को लाभ पहुंचा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 7,287 किलोमीटर बांध तथा 10,150 किलोमीटर नालियां बनाई गई हैं, 197 शहरों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की गई है और 4,585 गांवों को समुद्र-तल से ऊंचा किया गया है।

1971-72 के अन्त तक बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाओं में 23 अरब 92 करोड़ रु०, विद्युत परियोजनाओं पर 51 अरब 16 करोड़ रु० और बाढ़-नियन्त्रण तथा जल निकासी योजनाओं पर 2 अरब 56 करोड़ रु० की पूंजी लगाई गई है।

समुद्र से भू-क्षरण के लिए अब तक 9 करोड़ 90 लाख रु० व्यय किए गए हैं, जिनसे 80 किलोमीटर लम्बे समुद्रतट को सुरक्षित किया जा सका है।

सिंचाई

अनुमान है कि भारत की जनसंख्या मार्च, 1981 तक 65 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जिसके कारण साढ़े पांच करोड़ टन अतिरिक्त अनाज के उत्पादन की आवश्यकता होगी। इसमें से 4 करोड़ 30 लाख टन अनाज तो खेती के सुधरे तरीके अपनाकर और सिंचाई क्षेत्रों का विस्तार करके पैदा किया जा सकेगा, शेष 1 करोड़ 20 लाख टन के लिए बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर रहना होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनाओं की जांच की गई है तथा उन्हें 1971-81 की दशक योजना में शामिल कर लिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण की दशक योजना के अन्तर्गत 1971-81 अवधि में 48 लाख 70 हजार नलकूपों में बिजली पहुंचाने तथा 2 लाख 33 हजार गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है।

बाढ़-नियन्त्रण

गंगा घाटी और उड़ीसा राज्य में 1971 वर्ष के दौरान आई बाढ़ों से भयंकर क्षति हुई। इनसे 626 करोड़ रु० की क्षति का अनुमान लगाया गया था, जो अब तक हुई सबसे अधिक क्षति थी। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 580 करोड़ रु० का नुकसान हुआ। अक्तूबर, 1971 के अन्त में उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भयंकर तूफान से जान-माल की काफी तबाही हुई।

1971 की बाढ़ों से बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तुरन्त कुछ बाढ़ नियन्त्रण कार्य किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई, अतः 1 अरब 11 करोड़ रु० की लागत से योजनाएं आरम्भ की गईं। इनसे वार्षिक क्षति भी रोकी जा सकेगी तथा राहत कार्यों का खर्चा कम किया जा सकेगा। गंगा घाटी में सबसे अधिक नुकसान होता है, वहां पर बाढ़ नियन्त्रण कार्यों में तालमेल बैठाने, योजना बनाने तथा उनपर अमल करने के लिए एक बाढ़-नियन्त्रण मण्डल स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

गंडक घाटी तथा दामोदर घाटी के निचले क्षेत्र की बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन एक समिति कर रही है। यह समिति इन समस्याओं के समाधान सुझाएगी।

उड़ीसा में तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक समिति बनाई गई है तथा तूफान वाले क्षेत्रों में तूफान की पूर्व-सूचना तथा चेतावनी के लिए राडार और दूर-संचार सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं।

अधिक रोजगार

चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सत्रह राज्यों के 26 हजार गांवों में ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत इंजीनियरों, कृषि स्नातकों और

अन्य कर्मचारियों के 550 दल 25 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाने के लिए कृषि तथा इंजीनियरी सम्बन्धी बुनियादी आंकड़े इकट्ठे करेंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य पूरा करना है। लगभग 5600 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इनमें से आधे लोग इंजीनियर, कृषि स्नातक, मैट्रिक पास लोग, तकनीशियन आदि जैसे पढ़े-लिखे बेरोजगार लोग होंगे। राज्य सरकारों से दिसम्बर, 1971 में यह योजना आरम्भ करने का अनुरोध किया गया था। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है।

इंजीनियरों को रोजगार प्रदान करने के लिए सिंचाई एवं विद्युत मन्त्रालय सिंचाई, विद्युत तथा बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं सम्बन्धी सर्वेक्षण करने के कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण दे रहा है। 1969-70 में 93 लाख रु०, 1970-71 में 3 करोड़ 16 लाख रु० तथा 1971-72 में 4 करोड़ रु० ऋण के रूप में दिए गए। मार्च, 1971 तक इस कार्यक्रम के माध्यम से 2142 इंजीनियरों को रोजगार मिल चुका है। 1971-72 में 610 अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार मिलने की आशा थी।

मेरा भोला गांव है

चिरंजी लाल "भावुक"

सुखद सलौनी मधुर मनोरमा जहां आम्र की छांव है
हसमुख सरल सुभाषी ऐसा मेरा भोला गांव है।
शक्ति सहेजे बैठे मन्दिर
शिवजी राम भवानी के
खेत खेत में फसलें झूमें
अल्हड़भरी जवानी ले।
खलिहानों में गीत गूंजते, जिनके कोमल भाव हैं
विनयशील सुन्दर नित स्वागत करने वाला गांव है।
सच्चाई जिनकी दौलत है
मेहनत जिनका धर्म है।
कर्मठ मेरे ग्राम निवासी
करें सदा सत्कर्म हैं।
सच्चरित्रता से रहने का इनमें दृढ़ स्वभाव है
सत्य-अहिंसा नैतिकता का इनमें प्रबल जमाव है।
त्वरित न्याय फल के अभाव में
यद्यपि ये आक्रान्त हैं
कर्ज करों से पीड़ित रहकर
फिर भी बहुत प्रशान्त हैं।
फल के बिना कर्म करते रहने का सब में चाव है
हंसमुख सरल-सुभाषी ऐसा मेरा सुन्दर गांव है।
सावधान रहते हैं हरदम
घर-भेदी गद्दारों से
उत्पादन की वृद्धि अंक में
करते रहे हजारों से
जननी-जन्म भूमि से रहता गहरा सदा लगाव है।
विनयशील सुन्दर नित स्वागत करने वाला गांव है।

किसानों को सामाजिक न्याय दिलाने वाला बजट

डा० शिवेन्द्रमोहन अग्रवाल

यदि भारत में बजट प्रस्ताव ग्रामीण जनता के जीवन स्तर पर अनुकूल प्रभाव डालने में असमर्थ रहे तो वह बजट सच्चे अर्थ में एक अपूर्ण व आंशिक बजट माना जाएगा। भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है और इस बड़ी जनसंख्या की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपरिहार्य हो गया है। वास्तव में वही सरकार समाजवादी कहलाने योग्य बन सकती है जो छोटे किसानों व खेतिहर मजदूरों के लिए आर्थिक व सामाजिक कल्याण सम्बन्धी योजनाएं बनाए। सरकार इस दिशा में क्या सोचती है और क्या करना चाहती है यह उसके बजट प्रस्तावों से स्पष्ट होता है। 1972-73 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में विकास, जन कल्याण और रोजगार दिलाने के कार्यक्रमों को जो विशेष महत्व दिया गया है वह सरकार की प्रगतिशील नीतियों व दृढ़ इरादों का सूचक समझा जा रहा है। आज वे सुविधाएं जो कल तक उनके लिए स्वप्न समान थीं, धीरे धीरे ग्रामीण जीवन का अंग बनती जा रही हैं।

सुनियोजित आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही इस कठिन कार्य को पूरा किया जा सकता है। आर्थिक समीक्षा में आर्थिक विकास की गति 1971-72 में आशानीत नहीं रही, धीमी ही रही। यद्यपि खाद्यान्नों के उत्पादन में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है परन्तु व्यापारिक फसलों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। कृषि सम्बन्धी कच्ची वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। साथ ही बहुत से बुनियादी उद्योग विशेष रूप से इस्पात व उर्वरक उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और वे अपनी उत्पादन क्षमता से काफी नीचे चल रहे हैं। इसका एक दुष्परिणाम यह होगा कि औद्योगिक उत्पादन में चार प्रतिशत से अधिक दर से वृद्धि नहीं हो पाएगी। आर्थिक स्वराज्य व आत्म-निर्भरता की दिशा में पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। बेरोजगारी के निवारण तथा मूल्यों को स्थिर करने के लिए द्रुत औद्योगिक व कृषि विकास तथा उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग आवश्यक है।

आत्मनिर्भर होने और सामाजिक न्याय के साथ विकास करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु इस बजट में योजना परिव्यय में जो वृद्धि की गई है वह सराहनीय है। केन्द्रीय व केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए 1971-72 में जो 1455 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था थी उसे बढ़ाकर 1972-73 में 1787 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार एक ही वर्ष में 332 करोड़ रुपए की वृद्धि करके सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाया है। इसमें से कृषि, सामुदायिक विकास, सहकारिता के लिए 23 करोड़ रुपए और सिंचाई व बिजली के विकास के लिए 18 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बारानी खेती के विकास को काफी प्राथमिकता दी गई है। इससे किसानों का भाग्य प्रकृति पर निर्भर न रह कर उनके अपने प्रयासों पर निर्भर हो जाएगा। यह मानव की प्रकृति पर एक बड़ी विजय के रूप में मानी जाएगी।

इस बजट का विश्लेषण करने से पता चलता है कि इसमें भी छोटे किसानों के हितों को सुरक्षित रखने का उल्लेखनीय प्रयास किया गया है। लघु किसानों के विकास अभिकरण के लिए अगले वर्ष के बजट में 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जो इस वर्ष की 6 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था से दुगुनी होगी। इसके अतिरिक्त सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिए इस वर्ष की तीन करोड़ रुपए की व्यवस्था को अगले वर्ष दुगुना अर्थात 6 करोड़ रुपए किया किया जा रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पच्चीस वर्ष बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण जीवनकाल छोटा रह जाता है और अनेक लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन सुविधाओं की पूर्ति हेतु एक अन्य महत्वपूर्ण कदम यह लिया गया है कि इस बार बजट में एक मुश्त 125 करोड़ रुपए की एक नई व्यवस्था की जा रही है। इससे ग्रामों में जलपूर्ति तथा घर बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा और बेरोजगारी के लिए बनाई गई योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। 5,60,000 ग्रामों में से कोई 1,30,000 अर्थात लगभग पच्चीस प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां आंशिक रूप से हैजे या नहरवे (गिनी वर्म) का प्रकोप रहता है। इन सुविधाओं का विकास हो जाने से सामान्य जनता को काफी लाभ मिलेगा व स्वास्थ्य में सुधार होकर कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। भूमिहीन श्रमिकों को भूमि मिल जाएगी और वे भी चार दीवारी के खेतों का आनन्द निर्भय होकर ले सकेंगे। इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने से रोजगार की सुविधाओं का विकास होगा, बेकारों को नौकरी मिलेगी।

स्वस्थ बच्चे देश के रक्षक होते हैं। उनके स्वास्थ्य पर शुरू से ही ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश के भावी निर्माता भूख से पीड़ित हैं, उन्हें पौष्टिक

आहार नहीं मिल पाता है। इस कमी के कारण उनको अनेक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है जिससे उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। अत: बच्चों के पौष्टिक आहार सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमों के लिए व्यय की जाने वाली राशि ग्यारह करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21.50 करोड़ रुपए करने का कदम न्यायोचित है। साथ ही इस मद में अगले वर्ष के बजट में कुल 72 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

कुछ विचारकों का यह मत है कि बजट में खाद व बिजली चालित पम्पों और खेती में काम आने वाले कुछ उपकरणों पर भी कर लगाने से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हरी क्रान्ति को ठेस पहुंचेगी। इसी प्रकार मिट्टी के तेल पर कर लगाने से सामान्य जनता को कष्ट होगा। वास्तव में आज कल कृषि जीवन निर्वाह का साधन न रह कर एक व्यवस्था बनती जा रही है। यदि प्रगतिशील कृषक रासायनिक खाद का प्रयोग करके अतिरिक्त उत्पादन करके अतिरिक्त लाभ अर्जित करता है तो उसे उसका थोड़ा सा भाग सरकार को देने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा कृषकों पर लगाया गया यह अप्रत्यक्ष कर है जो भविष्य में प्रत्यक्ष कर अर्थात कृषि आयकर का रूप धारण कर लेगा। साथ ही सरकार प्रशासनिक तन्त्र व बैंकिंग सुविधाओं में ऐसा तालमेल बिठाए जिससे ये कर छोटे छोटे किसानों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित न कर सकें। इस बजट में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया गया है। लघु उद्योगों में पूंजी की कम आवश्यकता होती है और रोजगार ज्यादा लोगों को मिलता है। बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना हितकर होगा।

वित्तमंत्री ने डाकतार की दरों को यथापूर्व रखकर और चीनी, पैट्रोल आदि वस्तुओं को न छूकर एक साहसपूर्ण कदम उठाया है जिसके परिणामस्वरूप आम आदमी का जीवन मंहगा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर इस बजट में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे आम जनता की जिन्दगी और मंहगी हो अपितु उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनसे एक ओर तो जनता को सामाजिक न्याय और अच्छा जीवन मिले और दूसरी ओर देश विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ता जाए।

विकिरण द्वारा खाद्य सामग्री का संरक्षण.....[पृष्ठ 15 का शेषांश]

खराब हो जाते हैं। यहां तक कि प्रशीतन सुविधा के बावजूद भी ये बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। इस कारण ये ताप-प्रक्रिया के लायक भी नहीं रहते। बाम्बे डक, पाम्फ्रेट (मछली), झींगा मछली जैसी विभिन्न प्रकार की खाद्य-सामग्रियों के लिए कई कम मात्रा में विकिरण का प्रयोग करने वाली विधियों का विकास किया गया है, जिनसे कमरे के सामान्य ताप से कम ताप और परिवात ताप की स्थिति में उन्हें काफी समय तक रखा जा सकता है। इन विधियों के विकास का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विकिरण का कम मात्रा में प्रयोग किया गया है और इनके साथ-साथ कम ताप में रखना, प्रशीतन, आंशिक निर्जलीयन तथा अन्य विधियों का भी उपयोग किया जाता है। ऐसी विधियों के एक साथ अपनाने से खाद्य-पदार्थ काफी समय तक ताजे और अच्छी हालत में रहते हैं।

तैयार किए गए खाद्य पदार्थ मनुष्यों के खाने के लायक हैं या नहीं इस बात की पूरी तरह जांच की जा चुकी है। कुछ विशेष पदार्थों के लिए विकिरण विधियों का विकास और उनका आर्थिक-तकनीकी विश्लेषण कर लिए जाने से भारत में इनके उपयोग की सम्भावनाएं बढ़ी हैं। मनुष्यों द्वारा खाने के लिए इस्तेमाल किए जाने से पहले इन्हें राष्ट्रीय नियमन संस्थाओं से स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाता है और इसके साथ-साथ इन खाद्य पदार्थों के खाने लायक होने के सम्बन्ध में जनता का भ्रम-निवारण भी किया जाता है। आशा की जाती है कि भारत आणविक ऊर्जा का प्रभावशाली ढंग से शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में पहल करेगा, जिससे कि दूसरे भी इसका अनुसरण कर सकें।

शिक्षक का सामाजिक दायित्व

अरनी राबर्टस

शिक्षक की भूमिका मात्र स्कूल की चारदीवारी तक घिरी हुई नहीं है वरन् इसका विस्तार जीवन के हर क्षेत्र में है। जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां शिक्षक किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका न निभाता हो। ज्ञान के प्रसार व प्रचार में तो शिक्षक प्रमुख है, साथ ही सामाजिक जीवन में नवीन क्रान्ति लाना और समाज की गली सड़ी धारणाओं और अन्य विश्वासों को समूल नष्ट करके मानव जाति को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना और जीने का ढंग सिखाना शिक्षक का ही कार्य है।

भारत देश ने प्राचीन युग से ही शिक्षक को ज्ञानपुंज और विश्वास स्तम्भ माना है। शिक्षक को जितना सम्मान और गौरव इस देश में मिला और मिलता है शायद ही किसी देश के शिक्षकों को मिलता होगा।

शिक्षक जो बात कह देता है वह पत्थर की लकीर होती है। शिक्षक को हर जाति और हर वर्ग के लोगों का विश्वास प्राप्त है। समाज का सच्चा पथ प्रदर्शक, निदेशक और नेता है तो वह शिक्षक ही है। मकान की मजबूती में जो दृढ़ता नींव के पत्थर प्रदान करते हैं वही दृढ़ता व्यक्ति के चरित्र को शिक्षक प्रदान करता है। समाज को हर स्थिति में सही ढंग से रखने के लिए जो कार्य शिक्षक कर सकता है वह और कोई नहीं कर सकता। और यदि शिक्षक को महत्वपूर्ण कार्यों से अलग रखा जाता है तो वे कार्य उतने सफल नहीं होते जितने कि वे शिक्षक की सहायता से होते हैं।

देश की प्रमुख योजनाओं में परिवार नियोजन, सहकारिता, हरित क्रान्ति, प्रौढ़ शिक्षा, सफाई व स्वास्थ्य अभियान, कुटीर उद्योग आदि हैं, जिन्हें विशेषकर ग्रामवासियों को समझाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शहरों में तो सभ्य समाज होता है, लोग पढ़े लिखे होते हैं अतः कोई भी योजना प्रारम्भ करने और सफलतापूर्वक चलाने में सरकार को किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता पर ग्रामों में कठिनाइयां सामने आती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये लोग अपनी परम्पराओं और धार्मिक रूढ़ियों से इस तरह जुड़े हुए हैं कि किसी भी नई योजना को वे बड़े अविश्वास से देखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अहित का विचार हो जाता है। लेकिन शिक्षक इन सब कठिनाइयों को कम करने में सरकार की सहायता कर सकता है। परिवार नियोजन की मोटर देखते ही ग्रामवासी भड़क उठते हैं उन्हें लगता है कि ये लोग आ गए हैं और जबरन पकड़कर उन्हें फांस लेंगे। गांवों में इस प्रकार के कार्यक्रमों में शिक्षक का सहयोग लेना अत्यन्त आवश्यक है। वहां तो न स्वास्थ्य अधिकारी और न परिवार नियोजन कार्यकर्त्ता कुछ कर सकते हैं, हां शिक्षक अवश्य ही उन्हें समझा सकता है कि परिवार नियोजन क्या है और इससे उन लोगों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है तथा यह किस प्रकार उन लोगों के लिए लाभप्रद हो सकता है।

शिक्षक स्थानीय भाषा जानता है। हर वर्ग और हर जाति के लोग उससे परिचित होते हैं। उसी आधार पर वह उनसे बात कर सकता है और उनकी ही भाषा में उन्हें सब कुछ सही सही समझा सकता है। अतः परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम में शिक्षक की सहायता अवश्य ली जाए।

सहकारिता, हरित क्रान्ति और प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार व प्रचार में शिक्षक ने अपनी मुख्य मुख्य भूमिकाएं अदा की हैं। इन सब चीजों को वह सफलतापूर्वक गांववासियों के सम्मुख रख पाया है। राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों में भी अब प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। शिक्षक लोक संस्कृति से पूर्णतः परिचित होता है, उसे मालूम होता है कि लोगों के हृदयों में कैसे बैठा जाए। शिक्षक हरित क्रान्ति के लिए प्रेरक सिद्ध हो सकता है। खाली समय में वह किसानों को कृषि के नए-नए तरीके बता सकता है। एक आदर्श शिक्षक का कार्य यही है कि वह ग्रामवासियों को समय की उपयोगिता के विषय में कुछ बताए। उन्हें यह सुझाए कि वे अपना खाली समय ताश खेलकर, शराब पीकर और लड़ाई झगड़ों में न बिताकर दूसरे आवश्यक कार्यों में लगा सकते हैं जैसे रेडियो सुनना, कुटीर उद्योगों को लागू करना, समाज सेवा करना, श्रमदान के कार्य करना और रात्रि को प्रौढ़ शालाओं में ज्ञान अर्जित करना आदि।

एक आदर्श शिक्षक समाज में फैली बुराइयों, अन्ध विश्वासों और गली सड़ी परम्पराओं और उन धार्मिक रूढ़ियों को जो प्रगति के मार्ग में बाधक बनती हैं, दूर करने और समाज को नई राह और नवीन चिरस्थायी ज्ञान देने में अपना सहयोग दे सकता है। अधिकतर देखा जाता है कि ग्रामवासी जूए और शराब में अपने को नष्ट करते हैं। इन दुर्व्यसनों में वह अपनी और अपने परिवार की उन्नति को भूल जाते हैं। शराब के कारण ही आए दिन ग्रामों में झगड़े होते रहते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि कोई न कोई अवश्य मारा जाता है। घरों में दुश्मनी पैदा हो जाती है। मोटे तौर पर देखने से मालूम होता है कि लोगों में आपसी तनाव काफी होता है और उनमें सहयोग की भावना नष्ट हो जाती है। शिक्षक इस दिशा में बहुत कुछ कर सकता है। शिक्षक को अपने दायित्वों को समझकर अपने कर्त्तव्यों पर जुट जाना होगा, तभी ग्रामों में नई सभ्यता करवट लेगी, नव निर्माण और नई चेतना को हर व्यक्ति अपनाएगा और भारत देश सशक्त और समृद्ध होगा।

सांगोद की लघु सिंचाई योजना

तारादत्त निर्विरोध

कोटा की सांगोद पंचायत समिति में 96.30 लाख रुपए की लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत अब तक 724 नए कुओं का निर्माण हो चुका है और 103 डीजल पम्प सैट तथा 60 विद्युत पम्पसैट लगाए जा चुके हैं। यह योजना कृषकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सिंचाई साधनों के विस्तार की दृष्टि से कार्यान्वित की गई थी जिसकी अवधि बढ़ा कर 4 वर्ष कर दी गई है। पंचायत समिति सांगोद के 155 गांवों के लिए यह लघु सिंचाई योजना फरवरी 1969 में लागू की गई थी जो कृषि विभाग के अधीन है और भूमि विकास बैंक के माध्यम से कृषकों को ऋण बांटने में सहायक है।

योजना के अन्तर्गत अब तक 46.72 लाख रु० का ऋण कृषकों को वितरित किया जा चुका है।

योजना से पूर्व की स्थिति

सांगोद की लघु सिंचाई योजना की क्रियान्विति से पूर्व सांगोद पंचायत समिति के योजना प्रभावित 155 गांवों में कुओं की संख्या 1,800 थी जिनमें से 245 कुएं बेकार थे। कुल कृषि क्षेत्र 1,26,869 एकड़ था। तब दुफसली क्षेत्र (रबी एवं खरीफ दोनों फसलें) लगभग 4,000 एकड़ था।

योजना से पूर्व सिंचित क्षेत्र लगभग साढ़े छः प्रतिशत था और वह भी वर्ष में एक साथ दो फसल उगाने के काम में लिया जाता था जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी।

निर्माण प्रक्रिया

लघु सिंचाई योजना, सांगोद के अन्तर्गत नए कुओं का निर्माण होने पर मिट्टी के परीक्षण और कुओं के पानी की जांच के आधार पर प्रत्येक किसान के लिए 'फार्म प्लान' तैयार की जाती है ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सके।

भूमि की स्थिति के मूल्यांकन के बाद ही फसल के उत्पादन और कृषक को दिए जाने वाले ऋण के बारे में विचार किया जाता है।

योजना के तीन अंग

कोटा जिले के कृषि विभाग का प्रोजेक्ट स्टाफ, सरकारी विभाग की ए० आर० परियोजना और भूमि विकास बैंक सांगोद परियोजना के तीन प्रमुख अंग हैं। इन तीनों विभागों की प्रवृत्तियों के समन्वय हेतु कृषि विभाग द्वारा प्रोजेक्ट आफीसर नियुक्त हैं जो डिप्टी डायरेक्टर, कृषि रैंक के हैं।

योजना में 90 प्रतिशत ए० आर० सी० और 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार का योग है। यह 10 प्रतिशत राशि स्टाफ पर खर्च होती है।

कृषि विभाग योजना के अन्तर्गत मानचित्र के निर्माण पर ग्रामवार योजना तैयार करता है और साथ ही मास्टर प्लान बनाता है। इस मास्टर प्लान के आधार पर कृषि के लाभांश का अनुमान लगाया जाता है। बाद में कृषकों को कुओं की उपयोगिता बताई जाती है और उनसे ऋण के प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं।

सहकारी विभाग भूमि मूल्यांकन और सार्वजनिक जांच द्वारा कृषकों को दिए जाने वाले ऋण के औचित्य के बारे में बताता है। सहायक रजिस्ट्रार एवं भूमि मूल्यांकन अधिकारी यह कार्य देखते हैं। ऋण के प्रार्थना पत्र उनकी जांच के बाद ही भूमि विकास बैंक को भेजे जाते हैं। भूमि विकास बैंक, कोटा फसलों के उत्पादन हेतु कृषकों को ऋण देता है।

बैंक द्वारा ऋण दिए जाने के बाद कृषि विभाग यह देखता है कि ऋण का सही उपयोग किया गया है या नहीं। कृषि विभाग ही फार्म प्लान के अनुसार कृषक को कृषि की उन्नत विधियों के बारे में समय समय पर परामर्श देता है और कृषक की आवश्यकता के अनुसार उसके लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था भी करता है।

प्रगति अवलोकन गोष्ठियां

योजना में हुई प्रगति के अवलोकन हेतु प्रतिमाह पंचायत समिति स्तरीय समिति की बैठक पंचायत समिति के प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है जिसमें परियोजना अधिकारी, लघु सिंचाई योजना विकास अधिकारी, प्रतिनिधि भूमि विकास बैंक, तहसीलदार, सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियन्ता विद्युत (निर्माण विभाग), जिला कृषि अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार परियोजना और सहायक रजिस्ट्रार जिला कोटा भाग लेते हैं।

इसी प्रकार जिला स्तर पर भी जिला समिति एवं मूल्यांकन समिति की बैठकें होती हैं। ★

खेती की योजनाएं अच्छीं, पर अमल नहीं

सरकारी स्तर पर खेती की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वे अच्छी तो होती हैं पर वे कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं और उन पर अमल नहीं होता। इन योजनाओं के कागजी रहने का एक बड़ा कारण यह भी है कि ये सैद्धान्तिक अधिक और व्यावहारिक कम होती हैं और उनसे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता।

ये शब्द हैं कोटा (राजस्थान) के गांव के एक किसान श्री भैरूलाल मोदी के, जो मैट्रिक तक पढ़े हैं और काश्तकारी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वह गांव सरोला (शिमलिया) के रहने वाले हैं। यह गांव सुलतानपुर पंचायत समिति के अन्तर्गत है। उनके पास 60 बीघे जमीन है, जिसमें वे अधिकतर गेहूं-जवार बोते हैं। उनकी नए-नए प्रयोगों में गहरी रुचि है और अब तक उन्होंने गेहूं की नई किस्में—सोना, कल्याण और शास्त्री बोकर काफी उपज ली है। पिछली बार वह धान की नई किस्म की खेती करना चाहते थे, पर ऐन वक्त पर पानी न मिलने के कारण अपनी योजना में सफल नहीं हो सके।

खेती सबसे अच्छा धन्धा

श्री मोदी काश्तकारी को सबसे अच्छा पेशा मानते हैं। नौकरी के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं और वे इसे अच्छा भी नहीं समझते। इस बारे में उनका कहना है कि जब खेती से मजे में गुजारा चल सकता है तो नौकरी के पीछे भागने से फायदा भी क्या है? उनके एक भाई नौकरी में हैं, उनका अपना गुजारा भी ठीक से नहीं हो पाता। यही स्थिति वह दूसरे नौकरी करने वालों की भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान भाई नई-नई किस्मों का भरपूर लाभ उठाएं तो उनको खेती से अपने लायक आय आसानी से हो सकती है।

श्री मोदी खाली समय में भी पर-चून और अपने गांव की डाक आदि का काम करते रहते हैं। इससे उनके वक्त का ही पूरा सदुपयोग नहीं होता, बल्कि आमदनी भी हो जाती है। ग्रामीण जीवन से सम्बन्धि पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने में उनकी गहरी रुचि है। पर इस तरह की जो सरकारी पत्रिकाएं निकलती हैं, उनको वे स्तर का नहीं मानते। उनका कथन है कि इनमें तो कोरा कागजी ज्ञान और

विनोद विभाकर

सूचनाएं भरी होती हैं। पत्रिकाएं तो वही अच्छी होती हैं, जो किसानों के कार्य में मदद और उनका मनोरंजन करें।

मेरे यह पूछने पर कि कभी उनको सरकारी पत्रों में कुरुक्षेत्र तथा गैर सरकारी में सेवाग्राम, ग्रामयुवक आदि पत्र भी देखने को मिले हैं तो उन्होंने नहीं में अपना सिर हिला दिया। मेरे यह कहने पर कि अगर उन्होंने इनको देखा होता तो वह ऐसा नहीं कह पाते, वह हंसकर बोले—"आप कभी इनके अंक भेजिए, तभी इनके बारे में आप द्वारा की गई तारीफ का पता चल सकेगा।"

श्री मोदी से मेरी भेंट सवाई माधोपुर से जयपुर जाते समय रात्रि को एक रेल के डिब्बे में हुई। गाड़ी तीव्र गति से भागती जा रही थी और उसी गति से वे मेरे सवालों का उत्तर भी देते जा रहे थे।

"क्या कभी आपने अपने खेत की मिट्टी की परख भी कराई है?"

"एक नहीं, तीन बार मैं अपने खेत की मिट्टी परख कराने के लिए दे चुका हूं। पर उसके नतीजे मुझे आज तक मालूम नहीं हुए। अब आप ही कहें कि ऐसे में कोई किसान अपने खेत को सुधारने का कार्य कैसे करे?"

"आपको इस बारे में अपने ग्राम-सेवक से मिलना चाहिए था।"

"उनसे भी कई बार मिला हूं। पर रहते डाक के वही तीन पात हैं। उन बेचारों के पास तो इतना काम रहता है कि कागजों का पेट भरने से ही फुरसत नहीं मिलती। इसी से किसानों को उनसे अपने कार्य में कोई मदद और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। और फिर उनके तबादले भी तो होते रहते हैं। इस बीच हमारे गांव के ग्रामसेवकों के भी तबादले हुए हैं।"

उनकी बात में काफी सचाई थी। इसीलिए मैंने इस बारे में उनसे आगे और बात नहीं चलाई। वार्ता का रुख दूसरी ओर मोड़ते हुए पूछा—"नई किस्में बोते समय आप खाद और उर्वरकों का तो भरपूर उपयोग करते ही होंगे?"

"क्यों नहीं? इसके बिना तो इनकी गति नहीं। नई किस्मों पर तो समय समय पर दवाई आदि भी छिड़कते रहना पड़ता है जिससे उनको कोई रोग न व्यापे और कीड़े आदि न लगें।"

शिक्षा के बारे में भी उनके विचार नेक हैं। उनका कहना है कि शिक्षा के बिना किसान का निस्तार सम्भव नहीं। उनको चाहिए कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और फिर उनको अपने पुश्तैनी पेशे खेती में ही लगाएं। इससे नौकरी के पीछे भागने की प्रवृत्ति तो कम होगी ही, खेती भी सोना उगलेगी।

卐

गुडगांव श्वेत क्रान्ति की ओर

लक्ष्मणदास

संसार के दूध देने वाले कुल पशुओं की संख्या का 23 प्रतिशत भाग भारत का होते हुए भी भारत संसार के मुकाबले में केवल 6.56 प्रतिशत दूध उत्पन्न करता है जो यहां की जनसंख्या की आवश्यकता के समक्ष आटे में नमक के बराबर है। भारत में गाय एक ब्यांत में केवल 382 पौण्ड और भैंस 1117 पौण्ड दूध देती है। 1951 में प्रति व्यक्ति 4.76 औंस और 1966 में 5.1 औंस की औसत से दूध उत्पन्न हुआ जबकि सन्तुलित आहार के लिए दूध की न्यूनतम आवश्यकता 10 औंस प्रति व्यक्ति मानी गई है। इसका अर्थ है कि देश की लगभग आधी आबादी को दूध देखने तक को नहीं मिलता।

इस आवश्यकता को सम्मुख रखकर सरकार ने परीक्षण के आधार पर देश के कुछ जिलों को पशुधन विकास परियोजना के लिए चुना है, जिनमें हरियाणा का जिला गुड़गांव भी सम्मिलित है, जिसका प्रयोजन इस क्षेत्र के किसानों और अन्य पशुपालकों को पशुधन के विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत अच्छी नस्ल के पशुओं को खरीदने के लिए आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं। दूध के उत्पादन की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके अधिक दूध देने वाले पशुओं के लिए मासिक वृत्तियां बांधी जाती हैं, ताकि उन्हें पेट भर चारा दिया जा सके। ऐसे पशुपालकों को पारितोषिक भी दिए जाते हैं। दूध के लिए हरियाणा नस्ल की गाय और मुर्रा भैंस अच्छी मानी जाती हैं।

उत्तम किस्म के जीवाणु बीज, उन्नत किस्म के चारे का और बीमारियों की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सालय और दवाइयों का सुचारु रूप से प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया से 14 जर्सी सांडों का प्रबन्ध किया गया है जिनके वीरज को वैज्ञानिक तरीकों से सुरक्षित रखकर अच्छी नस्ल की गायों को ग्याभन करने के प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके लिए गुड़गांव में एक केन्द्रीय बीरज बैंक खोला गया है जहां जर्सी साण्डों का वीरज एकत्रित किया जाता है। यहां से जिले के अन्य उपकेन्द्रों में वीरज सप्लाई होता है। जिले के भिन्न भिन्न स्थानों पर 78 उपकेन्द्र काम कर रहे हैं। गुड़गांव केन्द्रीय वीरज बैंक ने 1970-71 के दौरान 85,602 सी० सी० वीरज अपने उपकेन्द्रों को पहुंचाया, जबकि पिछले साल 3,314.5 सी० सी० वीरज इन केन्द्रों में भेजा गया था। इसी प्रकार जिला केन्द्र में उत्तम किस्म के मुर्रा साण्डों का वीरज भी इकट्ठा करके उपकेन्द्रों में भेजने का प्रबन्ध किया गया है जो भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 1970-71 में इस कार्य में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इस समय 3,847 देशी गायें जर्सी सांडों से और 18,573 भैंसें मुर्रा सांडों से कृत्रिम रूप से ग्याभन हुई। इनके अतिरिक्त 3,375 भैंसों को प्राकृतिक सेवाएं पहुंचाई गईं। यानी यह भैंसें मुर्रा साण्डों द्वारा ग्याभन की गईं। परन्तु 1968-69 में केवल 216 गायें और 1269 भैंसें ही ग्याभन की गई थीं।

जर्सी सांडों से कृत्रिम गर्भाधान के फलस्वरूप अब तक 853 बछड़े बछियां प्राप्त हो चुके हैं जो 14 व 16 मास में यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जबकि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए देशी बछड़े बछियों को तीन वर्ष का समय चाहिए।

विदेशी नस्ल की सहायता से देशी नस्ल पर कृत्रिम गर्भाधान के परीक्षण के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। जिन गायों पर यह परीक्षण हुआ है उनके दूध में दो ढाई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है और इसके साथ साथ जर्सी नस्ल के साण्ड यहीं पर उत्पन्न करके भावी नस्ल को सुधारने की ओर यह एक विशेष चरण

शेष पृष्ठ 25 पर]

हृदय के कुछ प्रमुख रोग

इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हृदय-रोगों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। प्रस्तुत लेख में कुछ प्रमुख हृदय-रोगों, उनसे सम्बद्ध सावधानियों तथा उनके उपचार का उल्लेख किया गया है।

डा० पद्मावती

हृदय में किसी भी गड़बड़ी को हृदय रोग कह दिया जाता है। यों हृदय-रोग कई प्रकार के हैं : लगातार बढ़ता हुआ रक्त-चाप, हृदय-वाल्वों का टपकना, जन्म-जात गड़बड़ी तथा अन्य असामान्य स्थितियां हृदय रोगों का कारण बन सकती हैं। विकसित देशों में यह रोग आम तौर से पाया जाता है और उनमें इसके कारण मरने वालों की संख्या भी काफी होती है।

भारत में एलोपेथिक दृष्टि से लगभग 20 वर्ष पूर्व हृदय रोग विज्ञान को आयुर्विज्ञान में पृथक स्थान दिया गया था। यद्यपि इन रोगों की जानकारी और चिकित्सा के विषय में आज काफी प्रगति हुई है, लेकिन भारत में अभी इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, आगरा, अमृतसर जैसे बड़े-बड़े नगरों में ही इस रोग के विश्वसनीय आंकड़े मिल सकते हैं। इन रोगों की चिकित्सा की सुविधा अभी बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित है। कुछ प्रमुख हृदय-रोग निम्नलिखित हैं :

आमवातिक हृद्-रोग

यह रोग अधिकांशत: बच्चों में पाया जाता है। आमवात ज्वर के कारण बच्चे का हृदन्त वाल्व इस प्रकार कट-फट जाता है कि हृद्-कपाटिकाएं ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पातीं और हृदय-रोग हो जाता है। जोड़ों में पीडा, भूख कम लगना, नक्सीर फूटना, वजन न बढ़ पाना, हल्का ज्वर, थकान आदि इस रोग के कुछ प्रमुख लक्षण है।

इस रोग की रोकथाम के लिए ज्वर और गला खराब होने पर बच्चे को तुरन्त डाक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है वह ज्वर आमवातिक ज्वर हो। आजकल आधुनिक औषधियों से इसका उपचार बड़े प्रभावकारी ढंग से हो जाता है और यह रोग पनप नहीं पाता। इस रोग से ग्रस्त बच्चे को बड़े सन्तुलित भोजन, समय समय पर उसकी डाक्टरी जांच, निद्रा और विश्राम तथा खेलकूद और धूप सेंकने की आवश्यकता होती है।

ऊंचा रक्तचाप

ऊंचे रक्तचाप वाला हृदय-रोग अधिकांशत: मध्यम अवस्था के लोगों में होता है। इसके कारण बहुत सी मौतें और अक्षमताएं भी हो जाती है।

कुछ लोगों का यह विचार कि यह रोग बढ़ती आयु के साथ ही होता है, बिलकुल निराधार है। यह रोग कभी-कभी गुर्दे के रोगों या अन्तःस्रावी ग्रन्थियों में गड़बड़ी के कारण हो जाता है। किन्तु अधिकांश मामलों में इसका कारण अज्ञात होता है। वस्तुत: उच्च रक्तचाप एक ऐसा रोग है जिसका सीधा सम्बन्ध शरीर में रक्त के संचार से है। होता यह है कि अशुद्ध रक्त हृदय में आता है और वहां साफ होकर आक्सीजन लेकर फिर सभी शिराओं के द्वारा शरीर के समस्त अंगों में संचरित होता है। सामान्य स्थिति में हृदय में रक्तचाप भी सामान्य रहता है किन्तु अचानक भावनात्मक तनाव या दबाव, आघात तथा अधिक श्रम आदि से रक्तचाप बढ़ जाता है और फिर थोड़ा विश्राम करने पर सामान्य स्थिति में आ जाता है। लेकिन जब यह रक्तचाप बराबर ऊंचा ही बना रहता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहा जाता है।

चक्कर आना, हृदय की असामान्य धड़कन, मेहनत करने या सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई या परेशानी होना आदि बढ़े हुए रक्तचाप के सामान्य लक्षण हैं। यदि इस पर शीघ्र नियन्त्रण नहीं किया गया तो अधिक रक्त के दबाव के कारण हृदय फैल सकता है और उसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी हो सकता है।

आधुनिक औषधियों के उपयोग से इस रोग पर नियन्त्रण किया जा सकता है। सर्पगन्धा जड़ी से तैयार औषधि इस रोग में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है।

स्थानिक रक्ताल्पता

इस रोग के फलस्वरूप हृदय गति रुक जाने के कारण अनेक व्यक्ति कालकवलित हो जाते हैं। भारत में यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक होता है।

यह रोग रक्तवाहिका में किसी वर्सीय पदार्थ के जमने से वाहिनी के कड़ी या तंग हो जाने से होता है। रक्तवाहिका के तंग हो जाने से रक्तसंचार में बाधा पड़ती है। उस दशा में जब मस्तिष्क को रक्त ले जाने वाली रक्त-वाहिका में रक्त का थक्का जम जाता है, तो मानसिक आघात होता है।

देश-विदेश में अध्ययन से पता चला है कि यह रोग अधिकांशत: धनी-मानी, बुद्धि-जीवी और 40 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के लोगों को होता है। वकील, इंजीनियर एवं वाणिज्य प्रबन्धक जैसे बड़े लोगों में यह रोग प्राय: पाया जाता है। यही कारण है कि विकसित देशों में इस रोग से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है।

इस रोग के वास्तविक कारण का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन विश्व भर में अनुसन्धान और प्रयोग किए जा

रहे हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मोटापा, व्यायाम का अभाव, धूम्रपान, वसा की अधिकता वाला आहार, आज के संघर्षमय जीवन के दबाव और तनाव आदि इस रोग के सहायक तत्व हैं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए सामान्य वजन बनाए रखना, धूम्रपान का त्याग, वसीय पदार्थों का कम सेवन तथा व्यायाम और क्रीड़ा उपयोगी हैं। रोग होने पर हृदय-रोग विशेषज्ञ की सलाह अत्यन्त आवश्यक है।

हृदय-फुफ्फुसीय रोग

सीने में संक्रमण के कारण होने वाले इस रोग का पता बहुत दिन तक नहीं लग पाता। जीर्ण खांसी या जीर्ण दमा जैसे सीने के संक्रमण के कारण हृदय पर दबाव पड़ने से जो प्रभाव होते हैं, वे हृदय-फुफ्फुसीय रोग कहलाते हैं। पश्चिमी देशों में यह रोग कम पाया जाता है। अजमेर, अमृतसर और जयपुर तथा उत्तर भारत के अन्य नगरों में इस रोग से पीड़ितों की संख्या 20 से 30 प्रतिशत है तथा स्त्री-पुरुष सभी समान रूप से इस रोग से ग्रस्त हैं।

इस रोग के कारणों के विषय में खोज की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में पड़ने वाली धुन्ध, कोहरा और ईंधन के रूप में जलाए जाने वाले उपलों कण्डों से उठने वाला धुआं इस रोग की उत्पत्ति में सहायक है। पश्चिमी देशों में खदानों में कार्य करने वाले इस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं।

इस रोग की रोक थाम के लिए सीने के संक्रमणों का शीघ्र उपचार करवाना आवश्यक है। रोग होने पर तुरन्त विशेषज्ञ की सलाह अनिवार्य है।

जन्मजात हृदय-रोग

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह रोग बच्चे को जन्म से ही होता है। यह कई प्रकार और रूपों में हो सकता है। कभी-कभी तो यह इतना हल्का होता है कि काफी समय तक इसका पता नहीं चल पाता। लेकिन जब बच्चे के किसी अन्य रोग का निदान या उसके स्वास्थ्य की परीक्षा की जाती है तो इसका भी पता चल जाता है। आधुनिक युग में ऐसे रोगों की शल्य-क्रिया द्वारा ठीक करने की विधि ढूंढ़ ली गई है और बहुत से शिशुओं को उससे नवजीवन भी मिलता है।

इसकी रोकथाम के लिए माताओं को उनके गर्भ के आरम्भ की स्थिति में सामान्य रोग जर्मन खसरा या 'रुबेल्ला' रोग से सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त माताओं को गर्भकाल में विषाक्त या तेज औषधियों के सेवन से परहेज करना भी इसकी रोकथाम में सहायक होता है।

आशा की किरण

आज के प्रगतिशील आयुर्विज्ञान के युग में अनेक प्रकार के हृदय-रोगों का सफल उपचार सम्भव हो गया है। अन्य रोगों के विषय में खोज और प्रयोग किए जा रहे हैं। अच्छा तो यह है कि रोग की आशंका होने पर शीघ्र निदान और उपचार कराया जाए। "इलाज से परहेज बेहतर है—" इस बात को सदा-सदा ध्यान में रखना चाहिए।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेलोर और पांडिचेरी जैसे बड़े-बड़े नगरों में हृदय-रोगियों की देखभाल, निदान और उपचार के लिए सन्तोषजनक सुविधाओं की व्यवस्था है। लगभग 21 मेडिकल कालेजों में और उनसे संलग्न अस्पतालों में हृदय-रोगियों के लिए विभाग हैं तथा हृदय-रोगों की शल्य चिकित्सा के 17 केन्द्र देश में विद्यमान हैं। आशा है कि भविष्य में इस ओर और भी प्रगति होगी।

गुड़गांव श्वेत क्रान्ति की ओर.....[पृष्ठ 23 का शेषांश]

है जो देश में श्वेत क्रान्ति के क्षेत्र में अल्पकाल में ही सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गुड़गांव में देहली दुग्ध योजना चल रही है जो सहकारी समितियों की सहायता से दूध एकत्रित करके देश की राजधानी की आवश्यकता को पूरा करती है। 1970-71 में गुड़गांव से 4,678 क्विण्टल दूध देहली भेजा गया। इसके अतिरिक्त जयपुर और कश्मीर को भी यहां से दूध की सप्लाई होती है। यहां पर 40 दुग्ध सहकारी समितियां काम कर रही हैं। डेरी फार्म चलाने के लिए सरकार द्वारा कर्ज दिए जा रहे हैं। अब तक इस संस्था द्वारा 7'0 व्यक्तियों को ऋण मिल चुके हैं जो कि डेरी फार्म खोलकर दुधारू पशुओं को पाल रहे हैं।

अतः इस प्रकार से पशुधन के विकास के सराहनीय प्रयासों के बाद यह आशा की जा सकती है कि गुड़गांव श्वेत क्रान्ति में देश का अग्रणी होगा और निकट भविष्य में ही अपनी प्राचीन गरिमा प्राप्त करके "देश मेरा हरियाणा जित दूध घी का खाना" की पुरानी कहावत को चरितार्थ करके गौरवशाली प्रदेश बनेगा।

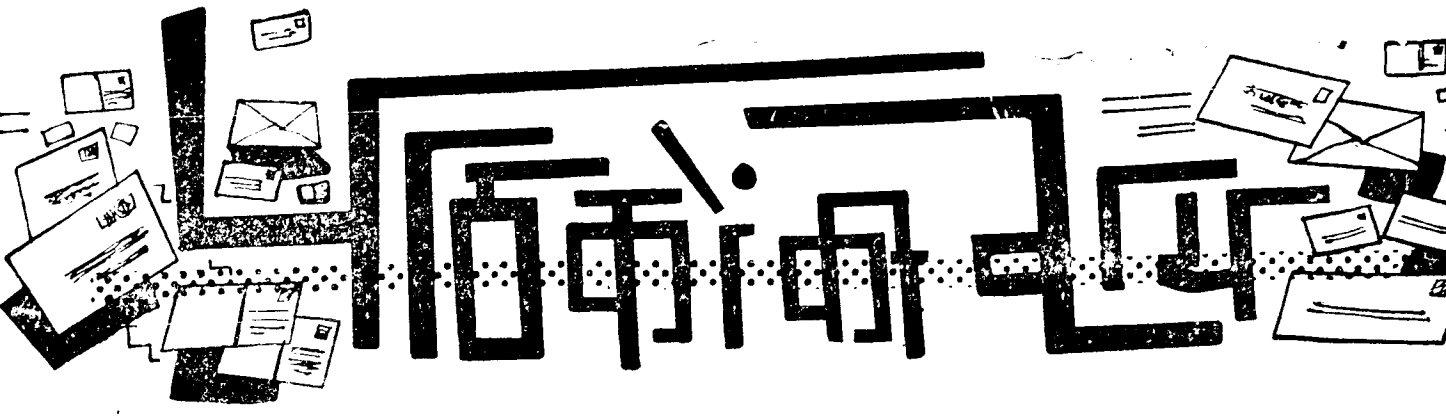

किसान ट्रैक्टर दुर्घटनाओं से कैसे बचे ?

कृषि उपज बढ़ाने के लिए कृषि यन्त्रों में ट्रैक्टर प्रमुख रूप से किसानों के सामने केन्द्र बिन्दु बना है। भारतीय किसान देशी तथा विदेशी ट्रैक्टरों का प्रयोग करने में दिन-रात जुटे हैं।

जब-कभी भी किसानों ने अपनी कृषि उपज बढ़ाने के विषय में विचार किया है, तभी उन्हें कृषि यन्त्रों के प्रयोग और और महत्व की ओर अपना ध्यान लगाना पड़ा है।

कृषि-खाद्य ज्यों-ज्यों प्रगति की ओर बढ़ी है त्यों-त्यों कृषि यन्त्रों का उत्पादन और प्रचार-प्रसार बढ़ा है। बाजारों में कृषि उपकरणों की बिक्री की आजकल बाढ़ आ रही है। एक ही प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण किसानों को बाजारों में बिकते दिखाई पड़ते हैं। काफी सावधानी बरतने पर भी कृषि यन्त्रों की खरीद में किसानों को मुंह की खानी पड़ जाती है। कृषि उपकरणों से ट्रैक्टर दुर्घटनाएं भी किसानों को तबाह करके हजारों-लाखों रुपयों की क्षति पहुंचाती हैं। प्रशिक्षित किसान सदैव ट्रैक्टर सावधानी से विधिवत चलाकर होनेवाली दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। ऐसा करने से प्रशिक्षित किसान अपनी तथा अपने ट्रैक्टरों और अपने अनाज आदि की रक्षा कर लेते हैं। किन्तु देखने में आया है कि कुछ किसान अप्रशिक्षित होते हुए भी ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और अपनी जान तथा सम्पत्ति खतरे में डाल देते हैं। कृषि उपज बढ़ने के बजाए और घट जाती है।

ट्रैक्टर उन्हीं किसानों को चलाने चाहिए जिन्हें ट्रैक्टर के यन्त्रों की पूरी-जानकारी हो। कुछ चालक जानकारी न होने के कारण दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं।

ट्रैक्टर उन्हीं किसानों को दिलाए जाने चाहिएं जो उन्हें प्राप्त करने के हकदार हों। ट्रैक्टर दुर्घटनाओं से बचने के लिए किसान को सभी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था रखनी चाहिए। उसके पास अपनी एक वर्कशाप होनी चाहिए।

ट्रैक्टर चलाने से पहले पुर्जों की जांच कर लेनी चाहिए कि वह चलाने योग्य है भी या नहीं। आमतौर से ट्रैक्टर चालक को अपना ट्रैक्टर खुद ही चलाना चाहिए। दूसरों से ट्रैक्टर चलवाने से खराबी आ सकती है और दुर्घटना भी सम्भव है।

ट्रैक्टर चलाते समय यह ध्यान रखा जाए कि पास में कोई अन्य आदमी, बच्चा, पशु आदि तो नहीं खड़ा है। जहां ट्रैक्टर चलाना है वहां ऊंचे-नीचे खड्डे तो नहीं हैं।

ट्रैक्टर चलाने से पहले यह अवश्य देख लेना चाहिए कि उसका ट्रैक्टर कहां जा रहा है, सड़क पर या खेत में, फिसलन भरे मैदानों में या सड़कों के मोड़ों आदि पर। पहाड़ियों और ढलानों पर ट्रैक्टर यथासम्भव न चलाया जाए।

जब भी कभी कहीं ट्रैक्टर रुक जाए तो उसका गेयर हटा दिया जाए और ब्रेक को कसकर लगा दिया जाए।

किसान को हमेशा ट्रैक्टर एक जैसा चलाना चाहिए, झटके देकर मोड़ना या स्टार्ट करना लाभप्रद नहीं होता, दुर्घटना का डर बना रहता है।

यह भी जरूरी है कि ड्राबार को नीचे सैट करने के बाद लगाया जाए व हिच किया जाए या निर्दिष्ट हिच प्वाइंट्स को ही हिच किया जाए। पी० टी० ओ० को मुक्त कर लें---पेश्तर इसके कि उसे साफ किया जाए या सन्तुलित किया जाए।

किसान को अपने ट्रैक्टर में प्रोटेक्टिव फ्रेम, क्रश रेसिस्टेंट कैब तथा सेफ्टी बैल्ट लगाना चाहिए।

यातायात नियमों तथा ट्रैक्टर चालन क्रिया निर्देशिका का पालन चालक को करना चाहिए।

ट्रैक्टर के पुर्जों तथा तेल आदि की भी भली प्रकार से जांच की जानी चाहिए। क्योंकि नकली पुर्जों और तेलों आदि के प्रयोगों से हजारों का ट्रैक्टर तो नष्ट हो ही जाता है, साथ ही साथ दुर्घटना का भी भय रहता है।

भारत सरकार का कृषि मन्त्रालय ट्रैक्टरों के विकास, और मशीनों तथा उपकरणों को शुद्ध रूप से किसानों तक

[शेष पृष्ठ 31 पर]

कहानी

अन्तिम इच्छा

जगदीश किंजल्क

"अरी सुखिया, आज खेत नहीं चलना क्या ?"

"अभी आई रंधिया। आज देर से नींद खुली तो कुछ देर हो गई।"

"जरा जल्दी कर। पहुंचते पहुंचते धूप निकल आएगी।"

"ले चल, तुझे तो हर काम में जल्दी पड़ती है। अभी 6 ही तो बजा होगा।" कहती हुई सुखिया बाहर निकल आई और वे दोनों पगडण्डी नापती अपने खेत की ओर चल दीं।

सुखिया और रंधिया बचपन की साथिन हैं। साथ साथ खेलीं। छुटपन में कभी लड़ाई हो जाती तो दोनों को चैन न पड़ता और घंटे भर में ही दोस्ती कर लेती। सारा गांव इनकी दोस्ती की दाद देता।

बचपन तो खेलकूद में बीत गया पर तरुणाई में भी उनका साथ न छूटा। दोनों में ही अल्हड़ता और चंचलता जैसे कूट कूट कर भरी थीं। सारे गांव के नवयुवक उनके दीवाने थे। पर वे किसी की ओर देखती भी न थीं। अपने काम से काम। सबेरे 6 बजे से खेत चली जातीं और सूरज डूबने पर लौटतीं। सारे दिन मस्ती से काम करतीं। न तो वे किसी चीज के लिए परेशान होतीं न दुनिया की चिन्ता करतीं। जो कुछ खुशी से खाने को मिलता वे खाती पीतीं और अपने काम में जुट जातीं।

सुखिया का ताऊ बहुत वृद्ध हो गया था और मुश्किल से खेत तक जा पाता था। जरा सा काम करता तो श्वास फूलने लगती। उसका सारा काम सुखिया सम्भाले थी। सुखिया का एक छोटा भाई भी था जो शहर में पढ़ता था। कल्लू का कहना था कि आजकल के जमाने में लड़के का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े लिखे कोई नहीं पूछता। पढ़ जाने के बाद मेरा बेटा अच्छी खेती कर सकेगा। नए तरीके सीख आएगा, इसलिए उसने अपने लड़के को शहर भेज दिया था। वह दसवीं में पढ़ता था।

इतना सा ही था उसका परिवार। मां-बाप, भइया और सुखिया। गांव में एक छोटा सा टूटा फूटा मकान भी था। कल्लू बहुत गरीब था। उसका खर्च नहीं पूजता था। वे सब सूखी रोटी और नमक खाकर ही अपनी जीविका चलाते। ईश्वर की कृपा से उनके पास 15 बीघा जमीन थी। पर जो कुछ पैदा होता वह जमींदार का कर्ज चुकाने में चला जाता और वे फिर साल भर तक उसका मुंह ताकते रहते। कल्लू को अपना बेटा पढ़ाना था तो हर माह उसे रुपया भेजना जमींदार की कृपा पर निर्भर था। वह शहर में रहता था तो उसका खर्चा भी ज्यादा था।

रंधिया के बापू के पास अधिक जमीन थी और उसकी पैदावार भी अधिक होती थी। वह जमींदार का मुहताज न रहता था। पर रंधिया और सुखिया खेतों पर एक साथ मेहनत करतीं। खेतों में काम करने में उनका इतना मन लगता कि वे अपने सारे दुखदर्द भूली रहतीं। इतनी लगन से काम करने के कारण उनकी पैदावार दूसरों की अपेक्षा अधिक होती।

"सुखिया इस बार तो तेरा सारा कर्ज चुक जाएगा न ? देख कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार ?"

"भगवान जाने रधिया हमारा कर्जा कब चुकेगा ? जितना जो कुछ पैदा होता है वह सारा जमींदार ले लेता है, तब भी उसका कर्जा कभी उतरता नहीं। हर समय हम कर्जे से लदे रहते हैं। उससे कुछ कहें तो वह उधार देना बन्द कर देगा और मेरा भैया न पढ़ पाएगा। हमारे भाग्य ही खोटे हैं।" सुखिया ने गहरी सांस ली।

"जमींदार की बेईमानी की क्या कहती है सुखिया। सारा गांव जानता है। उसका कर्जा हर आदमी पर निकलता है और कभी चुकता नहीं होता। कोई चुकाने में हीला-हवाली करे तो ऊपर से मारपीट। उस दिन की घटना भूल गई क्या ? श्यामू ने कर्ज के पैसे चुकाए। उसमें रुपये दो रुपये कम थे। वह न माना। बोला अभी लेंगे। जब श्यामू रुपया न जुटा पाया तो बेचारे का एक बैल बांध लिया। कितना जालिम है ! भगवान कभी न कभी तो सुनेगा ही।"

"एरी रंधिया भगवान जब सुनेगा तब सुनेगा। हम तो अभी मिटे जा रहे हैं। ताऊ से कुछ काम धन्धा होता नहीं। उनका ठहरा बुढ़ापा। भैया छोटा है और शहर में रहता है। ये खेत रहा मेरे जिम्मे। मै ही दिन रात मेहनत करती हूं तब कहीं इतनी पैदावार हो पाती है।" सुखिया की आंखे गीली हो गईं।

"चुप, चुप सुखिया। सामने देख वह जमींदार आ रहा है।"

सुखिया ने अपनी धोती के पल्लू से आंखे साफ कीं और चुपचाप पगडण्डी से नीचे उतर कर चलने लगी। उसके

पीछे रंधिया हो ली। सामने जमींदार और उसका मुंशी आ रहा था।

"मुंशी ये छोकरी किसकी है? देख कितनी मस्त जवानी है।" जमींदार ने सुखिया को देख कर मुंशी से पूछा।

"हूजूर ये कल्लू अहीर की लड़की है। सारे गांव में जो कुछ है बस यही तो है। बड़ी अल्हड़ है। किसी को कुछ समझती ही नहीं। देखिए कैसी अकड़ कर चल रही है।"

"मुंशी तो ये बात है। अच्छा देखूंगा इसका अल्हड़पन। मैं कैसा जो इसे अपनी दासी न बनाकर छोड़ूं।" जमींदार ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा।

उसके आखिरी शब्द सुखिया के कानों में पड़ गए और वह तिलमिला उठी, "बड़ा आया जमींदार का बच्चा। मुझे दासी बनाने का रुआब देता है। मैं कैसी जो इस साले का खून न पी लूं।"

"सुखिया वह बहुत जालिम है। तू उसे अभी जानती नहीं। न जाने गांव की कितनी लड़कियों को वह दासी बना चुका है। उससे आज तक कोई जीत नहीं पाया। न जाने किस दिन क्या कर दे?" रंधिया ने उसे समझाया।

"बहुत देखे हैं ऐसे जमींदार। अरे उस बुड्ढे को मेरा हाथ पड़ जाए तो जमीन चाटने लगे।"

"छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करते सुखिया। अगर कहीं उसने सुन लिया तो समझ तेरी खैर नहीं। ले तेरा खेत आ गया जा अपना काम कर। मैं भी सामने खेत में कटाई करती हूं।" इतना कहकर रंधिया आगे बढ़ गई।

वे दोनों अपने अपने काम में जुट गई। सारे दिन कटाई करती रहीं। पर सुखिया का मन आज उदास हो गया। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। जितना काम वह हर रोज करती थी आज उसका आधा भी न कर पाई। उसका सर भी दुख रहा था। आज वह सूरज ढलने से पहले ही लौट आई। साथ साथ रंधिया भी लौट आई।

ज्यों ही सुखिया ने घर में प्रवेश किया तो ताऊ की हालत देखकर सहम गई। कल्लू सिर पर हाथ रखे बैठा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मां की आंखें रोते रोते सूज गई थीं। "अरे ताऊ आज तुम उदास क्यों बैठे हो? मां भी रो रही है। क्या बात हो गई?"

"कुछ नहीं बेटी। आज जमींदार ने बुलाया था। उसका कहना है कि एक दिन के अन्दर उसका रुपया चुकता हो जाना चाहिए नहीं तो वह खेत नीलाम करा देगा। तू ही बता बेटी 500 रुपए हम कहां से लाएं? इतनी बड़ी रकम हमें कौन दे देगा। यदि कर्जा न चुका तो वह खेत नीलाम करा देगा और हम भूखों मर जाएंगे।"

सुखिया जमींदार की नीचता समझ गई। पर उसने धैर्य रखकर कहा, "ताऊ इस तरह रोने से थोड़े ही कुछ होगा। तुम चिन्ता मत करो मैं उसके पास जाती हूं। शायद वह मेरी बात मान ले।"

"नहीं बेटी। तुम उसके यहां नहीं जाओगी। अभी तुम उसको जानती नहीं वह बहुत जालिम आदमी है।"

"तुम इसकी चिन्ता मत करो ताऊ। मेरा खेत मुझे प्राणों से प्यारा है। मैं अपनी जान दे दूंगी पर अपना खेत न जाने दूंगी।"

सुखिया इतना कहकर जमींदार के घर की ओर चल पड़ी। कल्लू उसे समझाता रहा पर वह न मानी। जमींदार पहले से ही उसका इन्तजार कर रहा था। सुखिया को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई।

"आओ, आओ मेरी रानी। मैं जानता था तुम जरूर आओगी।" जमींदार के स्वर में वासना की गन्ध थी।

"मालिक। आप बड़े आदमी हैं। हम गरीबों पर दया करें। फसल कटने पर हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे। कुछ दिन की और मुहलत दे दीजिए। सारी जिन्दगी आपका एहसान मानूं।" सुखिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा।

"मेरी रानी। तुम्हारे लिए तो राज प्रासाद खुला है। तुम जितने दिन की मोहलत चाहो ले लो, पर एक शर्त मेरी भी है, तुम्हें मेरी रानी बनना पड़ेगा।" और जमींदार ने उसका हाथ पकड़ लिया।

"नीच, कमीने, कुत्ते। तेरी ये मजाल।" सुखिया ने उसका हाथ झिड़कते हुए कहा, "मैं कैसी जो तुझे इसका मजा न चखाऊं।" इतना कहकर वह उल्टे पैरों लौट पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने अन्धकार छा गया। उसने घर में कदम रखा। सांझ हो गई थी और दीपक नहीं जला था। वह चुपचाप आई और अपनी टूटी चारपाई पर लेट गई। ताऊ ने पूछा तो वह सिसक कर रह गई। उसे सारी रात नींद नहीं आई।

सवेरा हुआ तो रोज की तरह वह खेत पर जाने को तैयार हो गई। पर आज उसका मन स्थिर नहीं था। रंधिया आई और वह चुपचाप उसके साथ खेत की ओर चल पड़ी। रंधिया ने कुछ पूछा भी तो वह उत्तर न दे सकी। खेत पर पहुंची तो उसने देखा जमींदार दस बारह आदमियों के साथ खड़ा है और उसके खेत की बोली लगवा रहा है। वह निस्सहाय दीनहीन की तरह उसके पैरों पर गिर पड़ी, "मालिक मुझे क्षमा कर दे। मुझसे गलती हो गई मैं सारी जिन्दगी तुम्हारा एहसान मानूंगी, मेरा खेत छोड़ दीजिए।"

जमींदार ने उसे लात मारकर हटा दिया, "हट यहां से साल भर हो गया। बाप ने अभी तक कर्ज नहीं चुकाया। तू आ गई खेत बचाने।"

सुखिया की आंखों में खून उतर आया। उसने चण्डी का रूप धारण कर लिया। उसने अपना हंसिया उठाकर पूरी ताकत से जमींदार के गले पर दे मारा। एक चीख निकली और जमींदार वहीं ढेर हो गया। इस घटना से तहलका मच गया और धीरे धीरे सारा गांव जुड़

शेष पृष्ठ 31 पर]

रूपक

समाधान

ओमप्रकाश गुप्ता

पात्र परिचय

वीरेन्द्र कुमार : मध्यम वर्ग के घराने का लड़का। आयु 22 वर्ष। इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग की डिग्री प्राप्त। **मुरलीधर** : एक ऊंचे घर का इकलौता लड़का। मैकेनिकल इन्जीनियर। आयु 26 वर्ष। **महेशचन्द्र** : सिविल इन्जीनियर। अच्छे खाते-पीते घराने का लड़का। आयु 21 वर्ष। घर में दो बड़े भाई और बड़ी बहिनें हैं। **चमनलाल** : आयु 23 वर्ष। इलैक्ट्रिकल इन्जीनियर। गरीब घर का लड़का। **सुभाष चन्द्र** : आयु 22 वर्ष। एम० काम०। माता, पिता, भाई-बहिन सभी से वंचित। पांचों आपस में मित्र और पांचों नौकरियों की तलाश में।

स्थान : मुरलीधर की बैठक। बैठक में दरी बिछी हुई है और सोफा, मेज आदि से पूर्ण सुसज्जित है।

समय : सायंकाल। मुरलीधर अपने ड्राइंगरूम में सोफा पर पड़ा आराम कर रहा है और अंग्रेजी के अखबार पर नजर डाले हुए है।

(पर्दा उठता है)

चमन : (प्रवेश करके) कहो मुरली बाबू क्या हो रहा है ?

मुरली : (बिना सिर उठाए) बैठ जाओ यार। मुझे डिस्टर्ब मत करो। चाय वाय पीनी है तो नौकर को आवाज देकर कह दो।

चमन : अबे चाय के बच्चे। तू ऊपर भी देखेगा या अखबार में ही सिर गाड़े मर जाएगा। जब देखो तब अखबार ही पढ़ता है। आखिर ऐसा कौन-सा लाटरी का नम्बर निकल आया है जो इस तरह अखबार के पीछे पड़ा हुआ है।

मुरली : (गर्दन ऊंची करके) ओ हो ! अरे तुझे कितनी बार कहा है मुझे अखबार पढ़ते वक्त तंग मत किया कर। मालूम है मैं अपना भविष्य देख रहा था।

चमन : क्या ? क्या ? भविष्य ? तो आजकल अखबार में भविष्य फल भी आने लगा है क्या ?

मुरली : आजकल क्या ? भविष्यफल तो हमेशा से ही आता है पर होता केवल उनका है जो बेकार होते हैं।

चमन : अपनी समझ में तो तुम्हारी यह पहेली आई नहीं। कुछ ढंग से बताओ तो पता चले। नहीं तो हम चले बाहर।

मुरली : अरे अरे ··· अब चला कहां ? अच्छा सुन बताता हूं।

चमन : (बैठते हुए) बता क्या बता रहा है ?

मुरली : मैं अखबार में नौकरी देख रहा था।

चमन : अच्छा तो जनाब विज्ञापन देख रहे थे।

मुरली : तो क्या नौकरी देखना अपना भविष्य देखने के समान नहीं ?

चमन : ओह तो यह बात है।

मुरली : हां यही तो बात है। अरे हां मैं तो पूछना भूल ही गया कि तुम्हारे उस देहली वाले इन्टरव्यू का क्या रहा ?

चमन : रहना क्या था ? जो हमेशा रहा वही अब की बार भी। सच कहूं मुरली, इस बार तो दिल में ठानकर आया हूं कि नौकरी नहीं करूंगा।

मुरली : पर तू नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा ? आखिर तुझे अपने घर का खर्च भी तो चलाना है।

चमन : (गम्भीर होकर) हां मुरली यह बात तो ठीक है। अब अगर मैं भी तुम्हारे जैसे बड़े घर का बेटा होता तो शायद इतना सोचने की जरूरत नहीं होती।

मुरली : तुम क्या समझते हो मैं बहुत खुश हूं ? अरे तुम्हें कोई कहने वाला तो नहीं है। यहां तो हर वक्त माता पिता की जली कटी सुननी पड़ती है।

महेश : (प्रवेश करके) किसकी क्या सुननी पड़ती है, कुछ मैं भी तो सुनूं ?

मुरली : आओ महेश आओ। बैठो। कहो क्या हालचाल हैं ?

महेश : अपने हालचाल तो बाद में बताऊंगा। पहले यह बताओ इस चमन को किसी ने मारा है क्या ?

मुरली : क्या मतलब ?

महेश : (चमन की ओर संकेत करके) यह मुंह सुजाकर क्यों बैठा है ?

मुरली : बेचारा देहली वाले इन्टरव्यू में रह गया है। बस इसलिए कुछ उदास है।

महेश : (चमन के कन्धे पर हाथ फेरते हुए) तो इसमें इतना निराश होने की कौन सी बात है। यहां देखो इंजीनियरिंग पास किए पांच महीने हो गए हैं और अबतक आठ फैक्ट्रियां रिजेक्ट कर चुका हूं।

चमन : (मुंह उठाकर) क्या कहा ? अबे झूठ क्यों बोलता है ? कहीं सलेक्ट भी हुआ है जो फैक्ट्री रिजेक्ट करेगा।

महेश : यह हुई न कुछ बात। अरे भले आदमी फैक्ट्री ने मुझे रिजेक्ट किया या मैंने फैक्ट्री को। इससे क्या अन्तर पड़ता है। असल बात तो यह है कि अपनी नौकरी नहीं लगी और बन्दा भी तुम्हारी तरह बेकार है। फिर भी मैं तुम्हारी तरह देवदास तो नहीं बन गया।

मुरली : तुम्हारी बात और है महेश। तुम्हारे घर पर दो भाई कमाने वाले तो हैं। इसको तो खुद ही घर की चिन्ता भी करनी है।

चमन : यही तो बात है। अगर मैं भी तुम्हारे जैसी स्थिति में होता तो कोई चिन्ता न थी।

महेश : पर मेरे दोस्त—एक बात बताओ, इस तरह चिन्ता में डूबे रहने से क्या काम मिल जाएगा ? बल्कि तुम अपना मनोबल और खो बैठोगे।

चमन : तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं ? आखिर घर का खर्च तो चलाना ही है।

मुरली : देखो चमन इस बात की तुम बिल्कुल चिन्ता मत करो। भगवान सब ठीक कर देगा।

वीरेन्द्र : (प्रवेश करके) क्या खाक ठीक कर देगा भगवान् ? मैं कहता हूं भगवान् वगवान अब कुछ नहीं कर सकता। जो करना है सब हमें ही करना होगा।

चमन : तू बैठ तो सही फिर बोलना क्या करना होगा या क्या नहीं करना होगा।

वीरेन्द्र : (बैठते हुए) वह तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम बताओ तुम्हारे देहली वाले काम का क्या हुआ ?

मुरली : होना क्या था ? जो हमेशा होता रहा है।

वीरेन्द्र : यानी कि रिजेक्शन।

महेश : अब छोड़ो भी इस बात को। बेकार में ही राई का पहाड़ बना रखा है। एक जगह काम नहीं बना तो उसका मातम क्यों मनाया जाए।

चमन : हां वीरेन्द्र तू क्या कह रहा था ?

वीरेन्द्र : हां भई इस तरह से अखबार देखते रहे और एप्लीकेशन भेजते रहे तो अपना बुढ़ापा ही आ जाएगा। इससे अच्छा तो यह है कि हम लोग अपना अपना धन्धा ही शुरू कर लें।

चमन : तुम लोग कर सकते हो। पर मैं तो वह भी नहीं कर सकता।

मुरली : क्यों तुम क्यों नहीं कर सकते ?

चमन : अरे काम करने के लिए धन चाहिए। वह कहां से लाऊंगा ? यहां तो घर का खर्च चलाने की चिन्ता पड़ी हुई है और तुम लोग धन्धा करने की कह रहे हो।

महेश : और मैं भी तो कुछ काम नहीं कर सकता।

वीरेन्द्र : अब तुम्हें क्या तकलीफ हो गई जो तुम भी अपना काम नहीं कर सकते ?

महेश : अरे मैंने सिविल में डिग्री ली है। अब मैं क्या मकान दुकानें बनाऊंगा ?

वीरेन्द्र : क्यों, तुम ठेकेदारी का काम तो कर सकते हो।

मुरली : हां यह तो तुम कर ही सकते हो।

महेश : (चिढ़कर) हां यह तो तुम कर ही सकते हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे भाई कोई लखपति हैं। अरे उनके पास कौन सी तिजोरी भरी पड़ी है जो मैं ठेकेदारी का काम शुरू करदूं।

मुरली : हां यार यह बात तो है।

महेश : वह बात तो है ही, साथ में एक बात और भी है और वह यह कि मैं अकेला क्या क्या करूंगा।

वीरेन्द्र : यह बात भी तुम्हारी ठीक है।

चमन : भई इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान मेरी समझ में आता है।

महेश : वह क्या ?

चमन : वह है कोआपरेटिव सोसाइटी।

मुरली : क्या मतलब ?

चमन : मतलब यह कि हम मिलकर एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें और फिर कोई छोटा सा कारखाना खोल लें।

महेश : हां मुझे तो तुम्हारी बात पसन्द आई।

वीरेन्द्र : पर झगड़ा तो रुपये का है। वह कहां से लाएंगे ?

चमन : तुम्हें मालूम है आजकल सरकार और बैंक दोनों ही कोआपरेटिव सोसाइटीज को लोन देते हैं। और फिर बेरोजगार इंजीनियरों को तो प्राथमिकता भी दी जाती है।

मुरली : पर हम सब तो केवल इंजीनियर ही हैं। कारखाने का हिसाब किताब और एकाउण्ट कौन रखेगा ?

चमन : हां यार यह बात तो मैं भूल ही गया था। हममें से तो किसी ने भी कामर्स नहीं पढ़ी।

(इतने में सुभाष आ जाता है)

मुरली : (सुभाष को देखकर) लो यह कामर्स की समस्या भी दूर हो गई।

सुभाष : क्यों भई क्या बात है ? आज यह मण्डली कौन सी समस्या पर विचार कर रही है ?

महेश : बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो रहा है।

सुभाष : तो मुझे भी बताओ भई। मैं भी तो सात महीने से खाली फिर रहा हूं।

मुरली : बस तो तुम अब बेकार नहीं रहे।

सुभाष : वह कैसे ?

चमन : वह ऐसे कि हम लोग मिलकर एक कारखाना खोल रहे हैं। उसके लिए एकाउण्ट वगैरह रखने के लिए भी तो आदमी चाहिए। यदि तुम्हें कोई एतराज हो तो तुम भी हमारी सोसायटी के मेम्बर बन जाओ। बस फिर सबकी समस्या दूर हो जाएगी।

महेश : पर सरकार से लोन लेने के लिए कुछ रकम तो पहले हमें भी दिखानी पड़ेगी।

मुरली : उसकी चिन्ता तुम मत करो। काम शुरू करने के लिए कुछ रुपये का इन्तजाम मैं कर दूंगा। बाकी हम लोग लोन ले लेंगे।

वीरेन्द्र : हां यह बात ठीक है।

चमन : तो मैं लोन के लिए अपनी सोसायटी के कागजात वगैरह पूरे करके ही तुम लोगों से मिलूंगा। ठीक है ना।

मुरली : ठीक है।

सुभाष : अच्छा तो मै चलता हूं (चमन की ओर संकेत करते हुए) आओ चमन हम चलते हैं। **(दोनों चले जाते हैं)**

मुरली : क्यों महेश यह स्कीम तो बड़ी अच्छी रहेगी।

महेश : यार कुछ भी कहो सरकार हम लोगों का ख्याल तो रखती ही है।

वीरेन्द्र : यह तो है ही। यदि सरकार लोन की व्यवस्था न करती तो क्या हम जैसे लोग कारखाने लगा सकते हैं।

मुरली : भई मान गए इस सहकारी योजना को जो इतने लोगों को लोन देकर बेकारी की आग में झुलसने से बचाती है।

महेश : अच्छा तो हम चलते हैं मुरली।

(महेश और वीरेन्द्र का प्रस्थान)

★○★

अन्तिम इच्छा..... [पृष्ठ 28 का शेषांश]

गया। जितने मुंह उतनी ही बातें होने लगीं। आधे गांव वाले उसकी तारीफ करते और कुछ जमींदार के पिट्ठू उसे भला बुरा कहने लगे खबर सुनकर पुलिस भी वहां आ गई। पुलिस ने सुखिया को बन्दी बना लिया। वह चुपचाप पुलिस के साथ चली जा रही थी और सारा गांव अपना सिर झुकाए उसे जाते हुए देख रहा था।

कोर्ट ने सुखिया को फांसी की सजा सुना दी। यह खबर सारे गांव में आग की तरह फैल गई। सारा गांव शोक में डूब गया। उस दिन किसी के यहां चूल्हा नहीं जला। सारा गांव अन्धकार में सुखिया की बहादुरी की चर्चा करता रहा। दूसरे दिन सारा गांव उमड़ पड़ा सुखिया को देखने। सभी की आंखें सूजी हुई थीं। सुखिया से पूछा गया कि मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या है ? सुखिया ने गर्व से कहा, "फांसी के बाद मुझे अपने खेत में दफनाया जाए।" फिर कुछ दिन में सुनाई पड़ा उस साल उस गांव की पैदावार चौगुनी हुई थी।

●

पाठकों की राय..... [पृष्ठ 26 का शेषांश]

पहुंचाने के प्रयत्न अपने मशीन व उपकरण विभाग द्वारा करा रहा है जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। किन्तु अब तक जो भी कुछ इस सम्बन्ध में प्रगति की गई है वह सन्तोषजनक नहीं है।

प्रत्येक राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर प्रशिक्षण की व्यवस्था किसानों के लिए विकास खण्ड स्तर पर होनी चाहिए। प्रशिक्षित किसान को ही ट्रैक्टर खरीदने के लिए तथा वर्कशाप बनाने के लिए कर्जों आदि की सुविधा भूमि के आधार पर दिलाई जानी चाहिए। प्रत्येक विकास खण्ड में सरकारी तौर पर एक वर्कशाप तथा सर्विसिंग के लिए आदमी होना चाहिए, जो कि प्रत्येक ट्रैक्टर चालक की कठिनाइयों को हल करने-कराने में मदद करके सहयोग दे सके। तभी किसान ट्रैक्टर दुर्घटनाओं से बच सकता है।

भारत का किसान आज बहुत जागरूक है। सभी राजकीय योजनाओं को सफल कराने के लिए अपना हित पहचानते हुए अपना उत्तरदायित्व निभाता है।

मदन 'विरक्त'

●

SIEMENS

सीमेन्स 'पम्पमास्टर' कहता है...

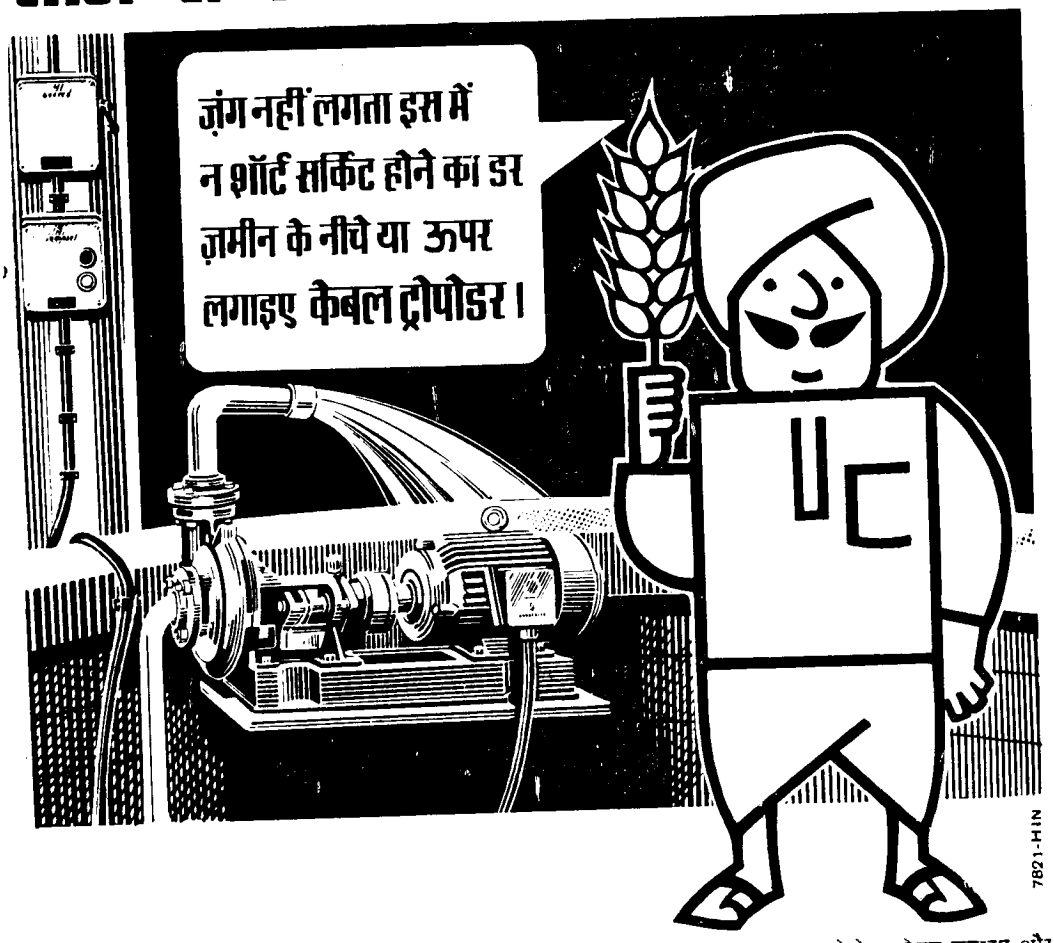

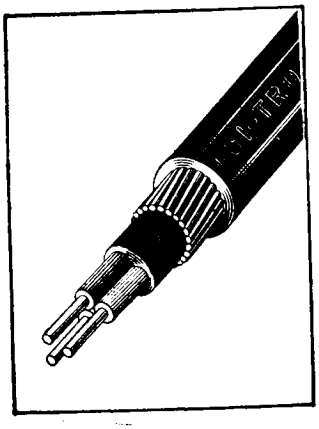

सीमेन्स ट्रोपोडर केबल यानि जर्मन तकनीक का कमाल। ट्रोपोडर केबल लगाइए और कण्ड्यूट पाइप के झंझट से छुटकारा पाइए।

ये हैं ट्रोपोडर केबल की विशेषताएँ:

• स्पेशल पी.वी.सी. और फ़ौलादी कवच के कारण ये केबल बहुत मज़बूत हैं और बिना देखभाल बरसों काम देते हैं।

• इन्हें, खुले में, ज़मीन के नीचे या पानी में भी लगा सकते हैं। इन्हें आग और ज़ंग लगने का कोई ख़तरा नहीं है।

• लचीलेपन के कारण पम्पिंग सेट को बिना कनेक्शन खोले ही, ज़रूरत के मुताबिक़ सरकाया जा सकता है।

पम्पिंग सेट को बिना रुकावट भरोसे से बिजली पहुँचाने का एक मात्र साधन — सीमेन्स ट्रोपोडर केबल।

सीमेन्स इण्डिया लि. • बम्बई • कलकत्ता • मद्रास • नई दिल्ली • अहमदाबाद • बंगलूर • हैदराबाद • लखनऊ

ओलम्पिक : लेखक—अजय, प्रकाशक : किताब घर, दिल्ली-31; मूल्य : छः रुपये; पृष्ठ संख्या : 200।

आलोच्य पुस्तक में 776 ई० पूर्व से 1972 ई० तक की ओलम्पिक खेलों का इतिहास है। इसमें उन्नीस अध्याय हैं जो सरल सुन्दर शब्दों में रंगीन खेलों का परिचय देते हैं। ओलम्पिक विश्व का सबसे भव्य और सबसे रंगीन खेल समारोह है जो हर चार साल बाद होता है। इसमें दुनिया के कोने कोने से आए युवक युवतियां अपना शारीरिक सामर्थ्य और खेल कौशल दिखाते हैं।

पुस्तक में मन्त्रमुग्ध तथा रोमांचित कर देने वाले करिश्मों का वर्णन है। 'गुमनाम छात्र प्रसिद्धि के शिखर पर' एमस्टरडम : 1928 के अध्याय से पता चलता है कि "भारत ने हाकी में पहली बार भाग लिया और सफलता पाई। इस खेल में अद्भुत जादूगरी दिखा उसने ओलम्पिक स्वर्णपदक जीत लिया। भारत में ओलम्पिक खेलों की लोकप्रियता भी इस विजय के कारण ही हुई। ध्यानचन्द की आश्चर्यजनक चुस्ती और चपलता तथा कौशल को देखकर दर्शक स्तब्ध हो गए थे। भारत के अलावा जापान ने भी पहला स्वर्णपदक एथलैटिक में इस ओलम्पिक में जीता।" (पृष्ठ 96-97)

पवित्र मशाल का जिक्र करते हुए लेखक कहता है—"ओलम्पिक की पवित्र नगरी के पवित्र जूस मन्दिर में 21 जुलाई 1936 को एक मशाल प्रज्ज्वलित की गई थी। सात देशों के तीन हजार धावकों ने एक दूसरे से मशाल जलाते हुए उस पवित्र अग्नि के रात दिन आगे बढ़ाते हुए बर्लिन के ओलम्पिक स्टेडियम तक पहुंचा दिया था। 'जर्मन ओलम्पिक समिति' ने यह नई प्रथा शुरू की थी जिसे बाद की ओलम्पिक खेलों में अपनाया जाने लगा।" (पृष्ठ 92)

अन्तिम अध्याय - हाकी जादूगर (ओलम्पिक में भारत) में ध्यानचन्द के बारे में लिखा है कि 'उसका खेल देखकर एक चैक सुन्दरी इतनी प्रभावित हुई कि उसने चुम्बन की प्रार्थना की। ध्यानचन्द का खेल देखकर स्वयं हिटलर ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर बधाई दी।' (पृष्ठ 184)

लेखक ने जहां मिल्खासिंह (फ्लाइंग सिख) तथा डिस्कस चैम्पियन प्रवीणकुमार की प्रशंसा की है, वहां कई खेलों के बारे में कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाए हैं जो ध्यान आकर्षित करते हैं। मिसाल के तौर पर यही कि पचपन करोड़ की आबादी वाले भारतवर्ष को हाकी को छोड़ अन्य प्रतियोगिताओं में कोई उल्लेखनीय सफलता क्यों प्राप्त नहीं हुई ? इन गाथाओं के पढ़ने से खेल में रुचि लेनेवालों के मन में उमंग पैदा होगी। लेखक का प्रयास अभिनन्दनीय है।

केदारनाथ कोमल

भारत की एकता के प्रतीक : लेखक—श्री शिवसागर मिश्र; प्रकाशक : विज्ञापन व दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार।

भारत एक बहुत विचित्र देश है, अपनी बनावट और अपने इतिहास दोनों की दृष्टि से। कहीं जलता हुआ रेगिस्तान तो कहीं बादलों के मारे नाक में दम। कहीं हिमालय तो कहीं कुमारी अन्तरीप। विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रूप, विभिन्न रंग। संस्कृतियां भी एक नहीं— अलग अलग। इतिहास की दृष्टि से भी अनेकता का ही रंग। आर्य, द्रविड़, हूण, शक, मुगल और पता नहीं कितनी कितनी जातियां।

विचित्रताओं से भरे इस देश को देखकर यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या देश की अनेकता के बीच कोई एकता की स्रोतस्विनी नहीं प्रवाहित हो रही है ? हमें प्रसन्नता है कि 'भारत की एकता के प्रतीक' में इसी एकता को स्रोतस्विनी से साक्षात्कार करने का सफल प्रयास किया गया है। कथा कहने की पद्धति पर, तथ्यों से भरपूर, लिखी गई यह पुस्तक जहां कोमल मति बालकों के लिए गुरु का काम देती है वहीं प्रौढ़ों की ज्ञान वृद्धि का साधन भी बनती है। मध्यकाल में सन्तों ने जब यह महसूस किया कि "जाको देखा दुखिया देखा, सुखिया कोउ न देखा" तो मनुष्य को दुःख मुक्त करने के लिए उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। श्री मिश्रजी ने इस पुस्तक में सन्तों और धार्मिक नेताओं की इस भूमिका को गहरे डूबकर उद्घाटित किया है। अशोक और अकबर जैसे महान प्रशासक जो अपनी जनता के साथ आत्मीय व्यवहार करते थे, कभी नहीं भुलाए जा सकते। मानव कल्याण के लिए जो उन्होंने किया, उसके प्रति श्रद्धा निवेदित करके श्री मिश्र ने उचित ही किया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती जैसे समाज सुधारक युग की हवा को बदल देते हैं। उन्होंने भारतीय समाज को बाह्याडम्बरों के भंवर से उबारा है। एक कृतज्ञ समाज उनके प्रति आभारी है। स्वातन्त्र्य संग्राम के सेनानियों और स्वतन्त्र भारत के निर्माताओं को इस पुस्तक में सम्मिलित करके श्री मिश्र ने इस पुस्तक को हर दृष्टि से पूर्ण कर दिया है।

डा० उदयभान मिश्र

केन्द्र के समाचार

लघु कृषक विकास एजेंसी

'हरित क्रान्ति' से उत्पादन वृद्धि में मदद मिली है और इससे खेतिहरों का स्तर ऊंचा हो सका है। किन्तु साधनहीन छोटे किसानों को खेती के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तौर तरीकों का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल सका है। कृषि अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि छोटे किसानों में खेती के सुधरे तरीके अपनाने के बारे में उत्साह की कमी नहीं है। इनके अपनाने में सुव्यवस्थित सेवाओं और आवश्यक सामग्री की पूर्ति का अभाव ही विशेष बाधक रहा है। इसमें ऋण सुविधा का अभाव विशेष उल्लेखनीय है। सीमान्त कृषकों के मामले में यह समस्या बड़ी व्यापक है।

सरकार ने समाज के गरीब वर्ग की भलाई के लिए 46 लघु कृषक विकास एजेंसियां और 41 सीमान्त कृषक एवं खेतिहर मजदूर परियोजनाएं पहले से ही खोल रखी है। सहकारिता के क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं की भांति प्रसार अधिकारियों को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

गांवों में बिजली

1966 में 45,806 गांवों में बिजली पहुंची थी और 1971 में 1,69,939 गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी। इस प्रकार से पिछले पांच वर्षों में बिजली की सुविधा वाले गांवों की संख्या 11,16,448 से बढ़कर 16,29,368 हो गई।

देश में बिजली पैदा करने की क्षमता 1966 में एक करोड़ 70 लाख हजार किलोवाट से बढ़कर 1971 में एक करोड़ 64 लाख किलोवाट हो गई। प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग 16 यूनिट से बढ़कर 87 यूनिट हो गया है। वर्तमान दशक में देश में पैदा की जानेवाली बिजली की मात्रा 5 करोड़ 20 लाख किलोवाट हो जाने की आशा है। इसी दशक में बिजली से चलने वाले पम्पसैटों की संख्या 65 लाख और बिजली की सुविधा प्राप्त गांवों की संख्या तीन लाख 40 हजार हो जाने की आशा है।

देहातों में टेलीफोन

पिछले बीस वर्षों में देहातों में दूर के स्थानों पर टेलीफोन करने के लिए सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की संख्या पहले से 10 गुना से भी अधिक हो गई है। यह संख्या 1951 में 338 से बढ़कर अब 3,823 हो गई है। इन बीस वर्षों में देश में कुल टेलीफोनों की संख्या एक लाख 68 हजार 397 से बढ़कर 13 लाख 34 हजार 595 हो गई है।

डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा जो 1960 में कानपुर और लखनऊ के बीच शुरू की गई थी, अब 22 मार्गों पर उपलब्ध है। दिल्ली, बम्बई, कानपुर और मद्रास में टेलीफोन के स्वचालित केन्द्र शुरू हो गए हैं। कलकत्ता में अगले साल तथा निकट भविष्य में 14 अन्य स्थानों में इसी तरह के केन्द्र खोलने की योजना है।

नए उर्वरक

भावनगर के केन्द्रीय नमक एवं समुद्रीय अनुसन्धान संस्थान ने समुद्र के मिश्रित नमक से पोटाशियम शोयनाइट उर्वरक तैयार करने की विधि का पता लगाया है, इस विधि से पोटाशियम उर्वरक तैयार करने से खर्च भी कम पड़ता है।

मिश्रित नमक से पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम शोयनाइट तथा पोटाशियम सल्फेट प्राप्त करने पर पोटाशियम उर्वरक तैयार होते हैं। मिश्रित नमक से ये तीनों तत्व निकालने की विधि का विकास संस्थान में कर लिया गया है।

नागपुर के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसन्धान में मेम्बेरेन फिल्टर 'बी' बनाने की विधि का विकास किया गया है। मेम्बेरेन फिल्टर जल तथा धोवन जल के जीवाणुओं का विश्लेषण करने में काम आता है। अब तक ये फिल्टर आयात किए जाते थे। अब ये अपने देश में ही बनने लगेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत में प्रतिवर्ष इस तरह के लगभग 10 लाख फिल्टरों की जरूरत है। इनके निर्यात की भी काफी सम्भावनाएं हैं। प्रतिवर्ष 10 लाख फिल्टर निर्माण की क्षमता वाले कारखाने पर लगभग 2 लाख रुपये की पूंजी लगाने का अनुमान है। इन दोनों विधियों की जानकारी राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामसेवक प्रतियोगिता

29 मार्च, 1972 को नई दिल्ली में कृषि भवन में आयोजित एक समारोह में कृषि राज्यमन्त्री श्री ए० पी० शिन्दे ने 1970-71 की ग्रामसेवक प्रतियोगिता में चुने गए देश के सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेवक और ग्रामसेविकाओं को पुरस्कार प्रदान किए। ग्रामसेवकों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा सामुदायिक विकास

[शेष पृष्ठ 36 पर]

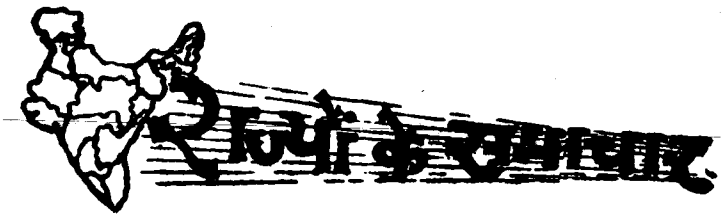

उत्तरप्रदेश

ग्रामीण इंजीनियरिंग परियोजना

राज्य में ग्रामीण इंजीनियरिंग परियोजना शुरू की जा रही है। प्रदेश के 35 इंजीनियर योजना के अन्तर्गत इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना शत प्रतिशत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य इंजीनियरों एवं कृषि स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करना है। योजना के अन्तर्गत 25 सर्वेक्षण दल गठित किए जाएंगे तथा प्रत्येक दल में दो इंजीनियर एवं एक कनिष्ठ सायल सर्वेयर (मिट्टी पर्यवेक्षक) होंगे।

रोजगार परियोजना

राज्य सरकार ने शिक्षित तथा प्राविधिक रूप से कुशल व्यक्तियों के लिए 56.78 करोड़ रुपये की विशेष रोजगार परियोजना बनाई है। परियोजना योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार को शीघ्र स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्राविधिक रूप से कुशल तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है तथा उन्हें उत्पादनशील कार्यक्रम में लगाना है। यह परियोजना 70,120 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्रदान करेगी और अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

दिल्ली

अधिक उपज देने वाले बीज

चौथी योजना के चौथे वर्ष में 1972-73 में दिल्ली में 60 हजार से भी अधिक हैक्टेयर क्षेत्र में खूब उपज देने वाले बीज बोए जाएंगे, जबकि पूरी योजना का लक्ष्य 58 हजार हैक्टेयर ही था। इस क्षेत्र में प्रगति की तेज रफ्तार को देखते हुए चौथी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 67 हजार हैक्टेयर कर दिया गया है। यह दिल्ली में उपलब्ध कुल खेती योग्य भूमि के 80 प्रतिशत से भी अधिक होगा। उर्वरकों के उपयोग में भी दिल्ली ने भारी प्रगति की है और पिछले 5 वर्षों में दुगनी से भी अधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया गया है।

मध्यप्रदेश

लघु सिंचाई योजनाएं

इस वर्ष 1540 सिंचाई के नए कुएं बनाए गए हैं जबकि लक्ष्य केवल एक हजार कुएं बनाने का था। इस प्रकार चालू वर्ष में लक्ष्य से डेढ़ गुना उपलब्धि हुई है। चालू वर्ष में अभी तक 521 तेल चलित पम्प लगाए जा चुके हैं। लक्ष्य केवल 200 पम्प लगाने का था। बिजली के 574 पम्प लगाए गए हैं। इसके अलावा 13 सपोर्ट लाइनों पर 520 बिजली पम्प लगाए जाएंगे।

छोटे किसानों को सहायता

राज्य सरकार ने छोटे कृषकों को बेकार कुओं तथा प्राकृतिक प्रकोपों से धंस गए कुओं को फिर से बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। अधूरे कुओं को पूरा करने के लिए अनुदान केवल उन कृषकों को दिया जाएगा जिसके पास साढ़े सात एकड़ से अधिक भूमि हो एवं जिन्होंने राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था, जैसे सहकारी बैंक या व्यावसायिक बैंक से कुओं के लिए ऋण न लिया हो। अनुदान की राशि बेकार कुएं की लागत का 50 प्रतिशत या 350 रुपये जो भी कम हो, दी जाएगी। खोदने के बाद प्राकृतिक कारणों से धंस गए कुओं के लिए अनुदान की राशि खुदाई की लागत का 50 प्रतिशत या 350 रुपये जो भी कम हो, तक सीमित रखी जाएगी। इस कार्य के लिए एक लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

राजस्थान

विशेष कृषि कार्यक्रम

युद्ध अथवा अन्य कारणों से कृषि उपज में होने वाली सम्भावित कमी को दृष्टिगत रखकर राज्य में एक विशेष कृषि कार्यक्रम तैयार किया गया है। अधिक उत्पादन के लिए सब जिलों में 1.75 लाख हैक्टर फसलों में यूरिया उर्वरक के छिड़काव का प्रबन्ध किया गया तथा खड़ी फसलों में यह छिड़काव हवाई जहाज द्वारा कराया गया। लगभग 3.10 लाख एकड़ भूमि की फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए विशेष अभियान

चलाया गया ।

सरसों की फसल को चेंपा से बचाने के लिए भरतपुर, अलवर, एवं सवाई माधोपुर जिलों में 30 हजार एकड़ में यन्त्रों से तथा 7,140 एकड़ में हवाई जहाज द्वारा दवाओं का छिड़काव किया गया ।

आगामी वर्ष में खरीफ तथा रबी की फसल में क्रमशः 89.15 तथा 37.00 लाख हैक्टर में क्रमशः 33.45 लाख टन और 41.55 लाख टन के खाद्यान्न के उत्पादन की आशा है । इनमें तेलवाली फसलें 12.38 लाख हैक्टर में, गन्ना 0.47 लाख हैक्टर में और कपास 3 लाख हैक्टर में बोए जाने का लक्ष्य है तथा क्रमशः 3.87 लाख टन, 9.50 लाख टन और 3.50 लाख गांठों के उत्पादन की आशा है ।

पंजाब

कीटनाशक

लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्राणी एवं कीट विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के खेतों पर किए गए परीक्षण के अनुसार धान की फसल को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले तना छेदक की रोकथाम फसल में गामा बी-एच-सी, डेजीनान, सेवीडाल, एन्ड्रिन या थिओडान के दाने डाल कर की जा सकती है ।

इन कीटनाशक दवाओं के दाने 20 से 25 किलो प्रति हैक्टर के हिसाब से फसल में दो बार---एक बार रोपाई से 20 दिन बाद और दूसरी बार 50 दिन बाद डाल सकते हैं । लेकिन आई० आर०-8 और जया जैसी भारी पैदावार देने वाली किस्मों की फसल में इन दवाओं को तीन बार डालना जरूरी होता है । इन्हें खेत में उर्वरकों की तरह छिड़क कर डालना चाहिए ।

हरियाणा

गांवों में पीने का पानी

राज्य द्वारा चलाया गया एक विशेष कार्यक्रम पीने के पानी की व्यवस्था करना है, विशेषकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में । मार्च, 1972 के अन्त तक लगभग 510 गांवों में ऐसी व्यवस्था की जानी थी, जबकि 1970-71 के अन्त तक ऐसे गांवों की संख्या केवल 404 थी । ऐसी समस्या का अधिक प्रभावशाली ढंग से समाधान करने के लिए एक स्वायत्तशासी ग्राम्य स्वच्छता बोर्ड संगठित किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि 1972-73 के दौरान 150 से अधिक नए गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी ।

ऊठाऊ सिंचाई योजना

राज्य में एक उठाऊ सिंचाई योजना शुरू की जा रही है । इस योजना पर लगभग 29 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । इसके पूरा होने पर गुड़गांव एवं महेन्द्रगढ़ की 6 लाख 90 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए व्यवस्था हो सकेगी । इससे राजस्थान की ओर से बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने में भी सहायता मिलेगी । यह योजना चार चरणों में पूरी होगी । इस योजना में पानी को 240 फुट से लेकर 450 फुट तक ऊंचा उठाया जाएगा ।

केन्द्र के समाचार... [पृष्ठ 34 का शेषांश]

कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता 1958 में शुरू की गई थी ।

इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेवक का प्रथम पुरस्कार बिहार में शाहाबाद जिले के दीनारा ब्लाक के श्री रघुवन्सिंह को दिया गया । सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेवक का द्वितीय पुरस्कार पंजाब के श्री दयालसिंह को प्रदान किया गया ।

सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेविका का प्रथम पुरस्कार केरल में त्रिचूर जिले के तालिकुलम ब्लाक की श्रीमती वी० आमिनी अम्मा को दिया गया । पंजाब में राजपुरा जिले की घानौर लण्ड की कुमारी गुरदेव कौर को सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेविका का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

केन्द्रशासित क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेवक का प्रथम पुरस्कार पाण्डीचेरी के माहे ब्लाक के श्री रामकृष्णा पनीकर को तथा द्वितीय पुरस्कार दिल्ली के शाहदरा ब्लाक के श्री जोगराजसिंह को दिया गया । केन्द्रशासित क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेविका का प्रथम पुरस्कार मणिपुर की श्रीमती चिमा को प्रदान किया गया ।

पंजाब में शाहपुर गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ गांव का प्रथम पुरस्कार दिया गया है । केन्द्रशासित क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गांव का प्रथम पुरस्कार दिल्ली के मण्डोली गांव को दिया गया ।

बाजरे की नई किस्म

भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला नई दिल्ली के मोटा अनाज परियोजना समन्वयक के अनुसार लोगों के लिए इस वर्ष निकाली गई संकर बाजरे की नई किस्म एच-बी-5 में दो विशेषताएं हैं । इसकी पहली विशेषता है कि इसे चेंपा रोग नहीं लगता और दूसरी विशेषता यह है कि इससे अनाज और चारे की भारी पैदावार मिलती है ।

एच-बी-5 किस्म की फसल में फी हैक्टर 120 किलो नाइट्रोजन डालने और सिंचाई करने से पैदावार 4,000 किलो फी हैक्टर मिली है । जमीन में थोड़ी सी मात्रा में नमी रहने पर भी एच बी-5 किस्म की फसल में बोआई के समय नाइट्रोजन की 40 किलो अतिरिक्त मात्रा मिट्टी में डालने और 40 किलो अतिरिक्त मात्रा का फसल उगने के चार सप्ताह बाद पत्तियों पर छिड़काव करने से लगभग 2,000 किलो फी हैक्टर पैदावाद मिली ।

प्रकाशन विभाग

(सूचना और प्रसारण मन्त्रालय)

नए प्रकाशन

(अक्तूबर—दिसम्बर 1971)

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (खण्ड 40)	7.50
भारत के गौरव (आठवां भाग)	3.00
ईसप की गीत-कथाएं (भाग I) (लेखक : निरंकार देव सेवक)	3.25
स्वतन्त्रता के मार्गदर्शक—दादाभाई नौरोजी (लेखक : सूरज नारायण मुंशी)	1.25
भारत में अंग्रेजी राज (द्वितीय खण्ड) (तृतीय मुद्रण) लेखक : सुन्दरलाल	12.50
स्वतन्त्र भारत के बढ़ते कदम	2.00
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 (प्रश्नोत्तर)	1.00
गांधी कथा (लेखक : एस० डी० सावन्त, एस० डी० बादलकर) (द्वितीय संस्करण)	2.50
संगठन में बल (तृतीय मुद्रण)	1.50

डाक खर्च मुफ्त। तीन रु० से अधिक मूल्य की पुस्तकें वी० पी० पी० से भेजी जा सकती हैं।

निदेशक
प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली	:	पटियाला हाउस
कलकत्ता	:	आकाशवाणी भवन
बम्बई	:	बोटावाला चैम्बर्स, सर फिरोजशाह मेहता रोड
मद्रास	:	शास्त्री भवन, 35, हैडोस रोड।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित तथा गंगा प्रिंटिंग प्रेस, सदर बाजार, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता हुआ

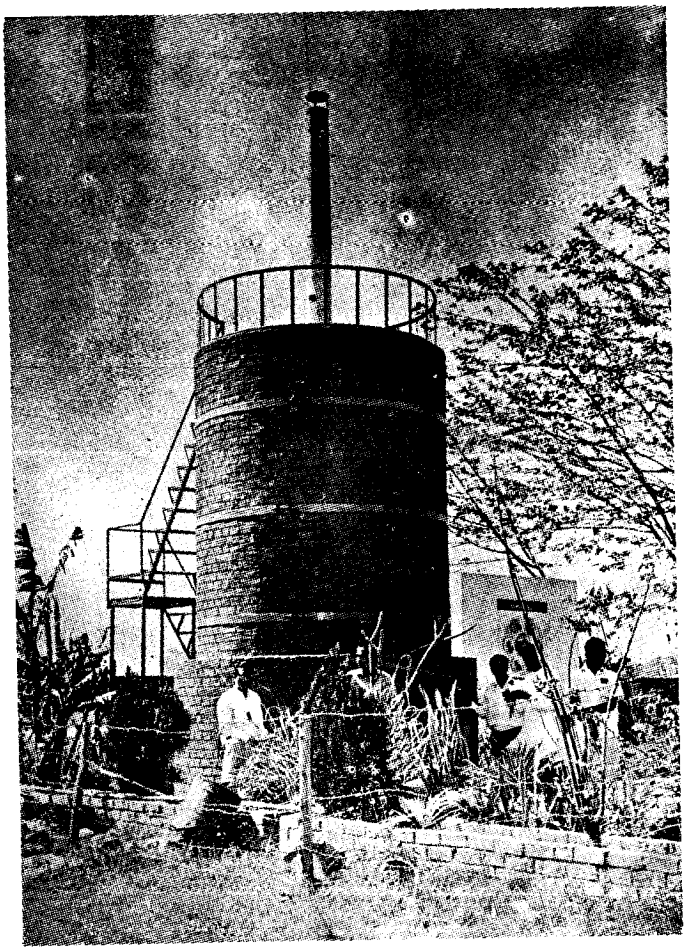

मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बढ़िया किस्म की भट्टी

रस्सी बनाने की मशीन

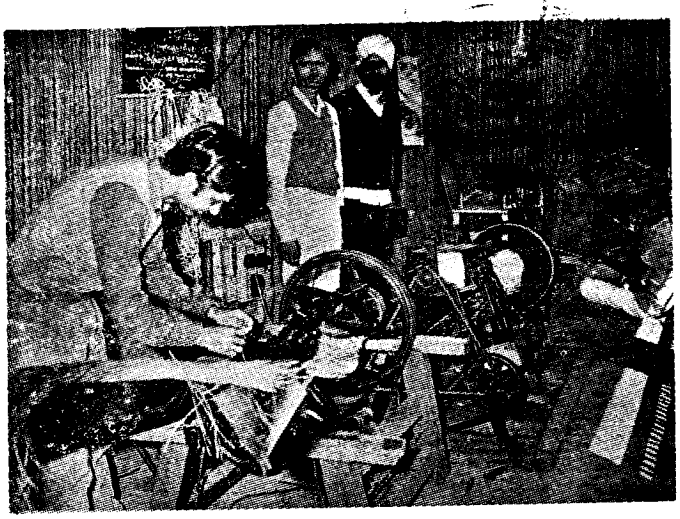

नए माडल का चर्खा